डीएसई (एचआई) मैनुअल

परिवार समुदाय तथा श्रवण बाधित बालक

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ फाफामऊ, प्रयागराज–211021
www.uprtouallahabad.org.in

डी.एस.ई. (एच. आई.)

मैनुअल

परिवार समुदाय
तथा
श्रवण बाधित बालक

सरस्वती नारायणस्वामी
ज्योत्सना कंसारा
आर. रंगासायी

संपादक
सरस्वती नारायण स्वामी

हिन्दी अनुवाद
विनोद कुमार मिश्र

भारतीय पुनर्वास परिषद

भारतीय पुनर्वास परिषद
नई दिल्ली

भारतीय पुनर्वास परिषद
नई दिल्ली

सभी अधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी भाग की, प्रकाशनाधिकार स्वामी तथा प्रकाशक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना प्रतिकृति नहीं बनाई जाएगी, उसे किसी पुनः प्राप्ति प्रणाली में नहीं रखा जाएगा या इलेक्ट्रानिक, मशीनी, फोटोकॉपी, रिकार्डिंग जैसे किसी भी माध्यम से या अन्यथा किसी भी रूप में सम्प्रेषित नहीं किया जाएगा।

परिवार समुदाय तथा श्रवण बाधित बालक

प्रथम अंक (अंग्रेजी) : 2006

हिन्दी संस्करण : 2011

© भारतीय पुनर्वास परिषद

आई एस बी एन : 81–7391–818–X

भारत में मुद्रित

....

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से कर्नल विनय कुमार, कुलसचिव द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित 2024.
मुद्रक : सिग्नस ईन्फार्मेशन सल्यूशन प्रा0लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

परिवार समुदाय
तथा
श्रवण बाधित बालक

प्राक्कथन

"एक पुस्तक जो मस्तिष्क को सौंदर्य से ओत–प्रोत कर दे तथा हृदय में अपार स्नेह और प्रिय विचारों का प्रवाह कर दे, सदा के लिए धरोहर बन जाती है।" इसके माध्यम से पीढ़ी–दर–पीढ़ी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज्ञान का प्रेषण होता रहता है। पुस्तकें हमेशा से हमारी मित्र और ज्ञान का स्रोत रही हैं। हम अनेक उद्देश्यों के लिए पढ़ते और लिखते हैं, तथा प्रायः ऐसा करने में हमारा उद्देश्य सामाजिक व शैक्षिक होता है।

यह मैनुअल विशेष शिक्षा व पुनर्वास के क्षेत्र में हमारी शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। विकलांगता पर अध्ययन ज्यादातर पाश्चात्य साहित्य पर निर्भर रहा है और हमारे देश में इस विषय पर साहित्य का अभाव रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद ने इन मैनुअलों को तैयार करके इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया है। ये मैनुअल सरल उपागम के हैं जो समझने में आसान तथा छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये न सिर्फ छात्रों व शिक्षकों के लिए प्रभावी शिक्षण सामग्री होंगे वरन माता–पिता, एन.जी.ओ. तथा विकलांगों के संगठनों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होंगे। ये मैनुअल पाठ्यक्रम (सिलेबस) को पूरा करने का प्रयास करते हैं तथा साथ ही विकलांगता से संबंधित सामान्य विषयों व विशिष्ट विषयों पर भी चर्चा करते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए मैनुअलों में पूरी सावधनी बरतने के बावजूद त्रुटियां छूटने की संभावना है। अतः परिषद् आपके सुझाव व टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है ताकि अगले संस्करणों व संशोधित संस्करणों में सुधार लाया जा सके।

इस बात पर बारंबार जोर दिया जाता था, कि परिषद् द्वारा चलाए

जाने वाले विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं विशेष शिक्षा हेतु छात्रों व शिक्षकों दोनों के लिए अध्ययन सामग्री की भारी कमी है। इसी कारण परिषद् को मैनुअल तैयार करने की प्रेरणा मिली। इस प्रक्रिया में लेखकों व संपादकों ने अथक परिश्रम किया है। इस उद्देश्य के लिए जो विशेषज्ञ दल गठित किया गया, उसके समक्ष जिम्मेदारी थी कि सिर्फ उचित व प्रासंगिक सामग्री ही मैनुअल में जाये ताकि वह प्रशिक्षुओं द्वारा आसानी से समझी जा सके।

परिषद इस परियोजना से जुड़े सभी व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता है। साथ ही आशा करता है कि ये मैनुअल इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान का द्वार खोलेगा तथा विकलांगों के संसार में अंतदृष्टि को सफलतापूर्वक बिकसित करने में सक्षम होगा।

डॉ. जे.पी. सिंह
सदस्य सचिव

परिचय

परिवार व समुदाय बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि बच्चा किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है तो परिवार व समुदाय की भूमिका अहम हो जाती है। बच्चे की उपलब्धि का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे परिवार से कैसा सहयोग व मानसिक प्रवृत्ति हासिल होती है। समुदाय की गुणवत्ता का मापन इस बात से किया जा सकता है कि वह विकलांग लोगों की बेहतरी के प्रति कैसी सोच रखता है? इस मैनुअल में उपलब्ध शिक्षण सामग्री परिवार व समुदाय द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का महत्व समझने में सहायता करेगी।

इकाई–1 विभिन्न प्रकार के परिवार, विकलांग बच्चे के पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका, परिवार के सदस्यों को सलाह की आवश्यकता, परिवार को मार्गनिर्देश की आवश्यकता, सलाह व मार्गदर्शन आदि की तकनीकों के बारे में है।

इकाई–2 विकलांगता से पीड़ितों व उनके परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं व रियायतों के बारे में है।

इकाई–3 में माता–पिता या अभिभावक की भागीदारी की आवश्यकता व व्याप्ति (दायरे) का वर्णन तथा उनके सशक्तीकरण के लिए प्रयोग होने वाली कार्यनीतियों का वर्णन है।

इकाई–4 में पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

इकाई–5 में समुदाय आधारित पुनर्वास की व्याप्ति व आवश्यकता का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही सामुदायिक जनजागरण के लिए कार्यक्रमों व सामग्रियों के प्रकारों पर चर्चा की गई है।

अनुक्रम

	प्राक्कथन	i
	परिचय	iii
1.	परिवार	1
2.	विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति तथा उनके परिवारों के लिए रियायतें व सुविधाएँ–आर्थिक, शैक्षिक व अन्य प्रासंगिक	19
3.	अभिभावकों की भागीदारी तथा सशक्तीकरण	51
4.	पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय	61
5.	समुदाय आधारित पुनर्वास	73

इकाई–1

परिवार

संरचना

- परिचय
  - ❖ परिभाषा व संरचना
  - ❖ परिवार के प्रकार का श्रवण बाधित व्यक्तियों पर प्रभाव
  - ❖ श्रवण बाधित के बारे में परिवारों की आम कुधारणाएँ
  - ❖ पारिवारिक हस्तक्षेप प्रक्रिया
- परिवार व पुनर्वास प्रक्रिया
  - ❖ परिवार की प्रारम्भिक भावनाएँ, प्रतिक्रिया व सामंजस्य
  - ❖ पहचान व बचाव में परिवार की भूमिका
  - ❖ विकलांगों के पुनर्वास की आवश्यकता
  - ❖ शिक्षा संबंधी पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका

    (क) विशेष विद्यालय में

    (ख) एकीकृत विद्यालय में

    (ग) दिन के स्कूल में

    (घ) आवासीय विद्यालय में,
  - ❖ विकास के विभिन्न चरणों में परिवार की भूमिका
  - ❖ कुल जनों, दादा–दादी, नाना–नानी तथा अन्य परिवारजनों की भूमिका

- परिवार को परामर्श व मार्गदर्शन
  - ❖ आवश्यकता व महत्व
  - ❖ सिद्धान्त, चरण व तकनीक
- बताएँ सत्य या असत्य
- संक्षिप्त प्रश्न

1

परिवार

परिचय

बच्चों की विकास प्रक्रिया प्रकृति की जटिल बुनाई (ताने–बाने) के जरिये होती है तथा उनके विकास व पोषण में परिवार की अहम भूमिका होती है।

दूसरे शब्दों में बच्चा जन्म से कुछ आंतरिक गुणों से युक्त होता है, उनमें अलग–अलग स्तर की बुद्धिमता होती है। उनकी प्रवृत्ति भी अलग–अलग प्रकार की होती है। जिस प्रकार से उनकी परवरिश होती है, उस पर उनकी उपलब्धियों का स्तर निर्भर करता है। परिवार इस बात में सहायक हो सकता है कि उनमें सही प्रवृत्ति विकसित हो तथा उनकी अधिकतम क्षमता का विकास हो। हर बच्चे के पालन–पोषण के लिए प्यार व स्नेह आवश्यक होता है तथा ऐसे बड़े लोगों की सलाह की आवश्यकता होती है जिन्हें बच्चों के बारे में ज्ञान होता है।

परिवार के द्वारा उत्पन्न वंचना व अस्वीकृति बच्चे पर विपरीत प्रभाव डालती है और यह प्रभाव तब ज्यादा होता है जब बच्चा विकलांग होता है।

वंचना किसी भी प्रकार की हो चाहे वह गरीबी के कारण हो या गलत मनोवृत्ति या अज्ञान के कारण, यह बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य तथा मनो–वैज्ञानिक विकास पर प्रभाव डालती है।

इसी तरह उपेक्षा किसी भी प्रकार की हो चाहे वह लिंग के कारण हो या अवांछित या अनियोजित गर्भ के कारण, गरीबी या विकलांगता के कारण यह बच्चे की शारीरिक वृद्धि व मानसिक विकास को प्रभावित करती है।

परिभाषा व संरचना

परिवार का अर्थ मात्र माता–पिता नहीं है। परिवार के अंतर्गत कुल जन, दादा–दादी, नाना–नानी, चाचा चाची और बच्चे का ध्यान रखने वाले जैसे आया, पड़ोसी, डाक्टर तथा अन्य वयस्क सभी होते हैं जो अधिकतर बच्चे के संपर्क में रहते हैं।

परिवार के प्रकार का श्रवण बाधित व्यक्तियों पर प्रभाव

शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे–धीरे विलीन हो रही है। पहले की तुलना में आजकल एकल परिवार अधिक पाये जाते हैं।

संयुक्त परिवार तंत्र में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं जैसे परिवारजनों की संख्या ज्यादा होती है और श्रवण अक्षम बच्चा उनके साथ संपर्क कर सकता है। वह अनेक प्रकार के प्रोत्साहन पा सकता है तथा माता–पिता व अभिभावक अपनी समस्याएँ तथा चिन्ताएँ अन्य परिवारजनों के साथ बाँट सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चे के पालन–पोषण का भौतिक व मनोवैज्ञानिक भार अन्य परिवार जन भी उठा सकते हैं।

एकल परिवार में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अभिभावक को इस चुनौती का सामना स्वयं करना होता है।

यह भी सत्य है कि संयुक्त परिवार तंत्र में माता–पिता उतना समय व महत्व श्रवण बाधित बच्चे को नहीं दे पाते हैं। कई बार परिवारजनों के द्वारा हस्तक्षेप भी होता है और देखरेख में कमी के कारण बच्चा अनुशासनहीन व बिगड़ जाता है। दूसरी ओर एकल

परिवार में माता–पिता कार्यप्रणाली के बारे में निर्णय ले सकते हैं तथा बच्चे का अच्छा व्यवहार विकसित हो सकता है।

हाल के रुझानों के अनुसार एकल परिवार का ही बोलबाला है। अनेक कारणों से बच्चे के माता–पिता अनेक परिस्थितियों में अलग–अलग हो जाते हैं तथा बच्चा माता या पिता के साथ अकेले ही रहता है।

दुर्भाग्यवश कुछ विकलांग बच्चों के पिता, बच्चे व माता दोनों को छोड़ देते हैं तथा बच्चा सिर्फ अपनी माता के साथ रहने को बाध्य हो जाता है। माता को बच्चे की पूरी जिम्मेदारी निभानी होती है और स्थिति तब जटिल हो जाती है जब माता कमाने वाली सदस्य नहीं होती है।

श्रवण बाधित के बारे में परिवारों की आम कुधारणाएँ

आम तौर पर परिवारजनों को विकलांग बच्चों द्वारा झेली जाने वाली परेशानियों का ज्ञान नहीं होता है। श्रवण बाधित के बारे में यह अज्ञानता अधिकतम होती है।

श्रवण बाधिता एक छिपी हुई विकलांगता होती है। परिवारजन इस कमी को उस प्रकार नहीं पहचान पाते हैं जिस प्रकार वे दृष्टि विकलांगता, मंद बुद्धि या प्रमस्तकीय पक्षाघात (सेरेबृल पाल्सी) को पहचानते हैं। शिशुओं की श्रवण बाधिता पर ध्यान ही नहीं जाता है और कई बार लंबा समय बीत जाता है।

जब माता सजग होती है तो वह यह पहचान लेती है कि बच्चा ध्वनि संकेत पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। पर फिर भी बच्चे को दो कारणों से जाँच के लिए नहीं ले जाया जाता है :

(क) माता को यह अहसास नहीं होता है कि बच्चे की श्रवण बाधिता बच्चे की वाणी क्षमता के विकास में भी बाधा बनेगी तथा

(ख) माता अपना दुख व चिंता अपने पति तथा सास–ससुरों के साथ नहीं बांट पाती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये लोग उसे सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाएँगे।

जब बच्चा साफ बोलने लायक आयु का हो जाता है तथा वह सामान्य शब्द भी नहीं बोल पाता है तब परिवार जनों को अहसास होता है कि बच्चा श्रवण विकलांगता से पीड़ित है।

इस स्थिति में भी बच्चे को तत्काल सहायता नहीं मिल पाती है जिसके निम्न कारण हैं :

(i) गरीबी,

(ii) चिकित्सकीय जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं होना,

(iii) कई बार परिवार किसी सहृदय रिश्तेदार, मित्र या डॉक्टर की सलाह से भ्रमित हो जाता है कि अभी बच्चा बहुता छोटा है और वे बच्चे के थोड़ा बड़ा होने का इन्तजार कर सकते हैं।

(iv) किसी पवित्र/तीर्थ स्थान की यात्रा से या किसी धार्मिक कृत्य से बच्चे की श्रवण क्षमता बहाल हो जाएगी।

(v) यह किसी पिछले जन्म में किये गए कर्म का कुपरिणाम है। इसे तो भोगना ही होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, आदि आदि।

परिवार की यह गलत सोच बच्चे की देर से जाँच का कारण बन जाती है तथा शीघ्र कार्यवाही भी नहीं हो पाती है। साथ ही बच्चा अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिना आवश्यक जाँच और सहायता के बिता देता है।

पारिवारिक हस्तक्षेप प्रक्रिया

व्यवसायिक सलाहकारों की परिवार के लोगों को शिक्षित करने में

महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रवण बाधित बच्चे के परिवार के सदस्यों में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि वे बच्चे के लिए सही काम कर रहे हैं।

परिवारजनों को अपनी जिम्मेदारी को निभाने हेतु आवश्यक शक्ति व कौशल्य को पहचानने में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन समस्याओं के साथ परिपक्वता पूर्ण तरीके से निबटने में सहायता की आवश्यकता होती है।

बच्चे की विकलांगता के बारे में ज्ञान पूरे परिवार की भूमिका व योगदान को परिवर्तित कर देता है जिसमें भाई–बहन भी शामिल होते हैं।

परिवार के सदस्यों को सलाह व मार्गदर्शन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वे श्रवण बाधित बच्चे के लिए किये जानेवाले अपने योगदान के महत्व को समझ सकें। व्यवसायिक सलाहकारों को चाहिए कि वे इस हस्तक्षेप कार्यक्रम में सभी परिवार जनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनायें।

परिवार व पुनर्वास प्रक्रिया

परिवार की प्रारंभिक भावनाएँ, प्रतिक्रिया व सामंजस्य

परिवारजन हमेशा एक स्वस्थ बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा शायद श्रवण संबंधित विकार का शिकार है तो उनके लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं होता है। इसके अलावा श्रवण बाधिता एक छुपी हुई विकलांगता है और दृष्टि विकलांगता, मंदबुद्धि या प्रमस्तकीय पक्षाघात की तरह स्पष्ट नहीं है। श्रवण बाधित बच्चा देखने में सामान्य लगता है। वह अन्य बच्चों की तरह ही हँसता और खेलता है। फिर भी परिवारजनों को यह स्वीकार करना पड़ता है कि बच्चा श्रवण क्षतिग्रस्त है। प्रारंभिक अविश्वास व निराशा को दबाना कठिन होता है।

परिवारजन अलग–अलग तरीकों से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ अवसाद में चले जाते हैं। कुछ एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद बेहतर सलाह या निर्णय मिलेगा। कुछ समझते हैं कि यह उनका भाग्य है और इसके बारे में कुछ नहीं कियां जा सकता है। कुछ ही हिम्मत जुटा पाते हैं और मदद के लिए आगे बढ़ते हैं।

परिवार को अनेक प्रकार का सामंजस्य करना पड़ता है। एक बार जब श्रवण बाधित बच्चा परिवार में जन्म ले लेता है तो पूरे परिवार का मनोविज्ञान प्रभावित होता है। इससे सभी लोगों की कार्यक्षमता और आपसी संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। चिकित्सकीय जाँच, श्रवण सहायक यंत्र लगवाना तथा अन्य हस्तक्षेप कार्यक्रमों में पैसा लगता है। अनेक लोग इस भार को वहन करने में असमर्थ होते हैं।

पहचान और बचाव में परिवार की भूमिका

आम तौर पर बच्चे की माँ या दादी उसकी विकलांगता को सर्वप्रथम पहचान पाती हैं। दुर्भाग्यवश अनेक मामलों में ये गंभीर नहीं होते हैं और चिकित्सकीय जाँच टलती चली जाती है।

आमतौर पर नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों की श्रवण अक्षमता के बारे में जानकारियाँ और चिकित्सकीय जाँच की सुविधा और हस्तक्षेप की सुविधा परिवारजनों को आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।

नवजात शिशुओं व छोटे बच्चों के कान बहने के बारे में अनेक अंध–विश्वासपूर्ण मान्यताएँ हैं। परिवारजन इसे हल्केपन से लेते हैं और घरेलू उपचारों को अपनाते हैं। कम ही लोग यह जानते हैं कि कान बहना मध्य कान के संक्रमण के कारण है तथा यह श्रवण क्षतिग्रस्तता को जन्म दे सकता है। यदि बच्चे के कान बहने पर तत्काल ध्यान दिया जाय तो चिकित्सकीय उपचार से कान के खराब

होने की प्रक्रिया को रोका जा सकेगा और श्रवण क्षतिग्रस्तता रुक सकती है।

विकलांगों के पुनर्वास की आवश्यकता

एक बार जब बच्चे की श्रवण बाधिता की पहचान हो जाती है तो परिवारजनों को चाहिए कि वह पूरी जाँच के लिए तत्काल सहायता लें। साथ ही श्रवण सहायक यंत्र व हस्तक्षेप की व्यवस्था भी कराएँ। यदि यह कार्य सही समय पर हो जाता है तो बच्चे की पूरी क्षमता का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।

शीघ्र हस्तक्षेप बच्चे के लिए ध्वनि का संसार उपलब्ध करा सकता है। साथ ही वह वाणी कुशलता हासिल करने में भी सहायक हो जाता है। जब बच्चे का पूर्ण पुनर्वास हो जाता है तो पूरा परिवार वापस प्रसन्नता के दौर में आ जाता है।

शिक्षा संबंधी पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका

(क) *विशेष विद्यालय में*

जब बच्चा विशेष विद्यालय में होता है तो उसके माता–पिता विद्यालय द्वारा किये जा रहे प्रयासों को और सशक्त करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे विशेष विद्यालय से यह जानकारी ले सकते हैं कि वे किस प्रकार का योगदान कर सकते हैं ताकि बच्चा अपनी क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल कर सके।

(ख) *एकीकृत विद्यालय में*

जब बच्चा एकीकृत विद्यालय में होता है तो इस बात की काफी संभावना होती है कि बच्चा काफी कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहा हो। परिवार की ओर से ध्यान देने वाला व्यक्ति वर्ग शिक्षिका तथा अन्य बच्चों के साथ इस तरह निरंतर संपर्क करता–रहता है ताकि बच्चा अन्य बच्चों के साथ ही प्रगति कर सके। बच्चे को काफी ज्यादा

भावनात्मक सहारे की आवश्यकता होती है। साथ ही परिवारजनों को चाहिए कि वे उसे लगातार भरोसा देते रहें।

(ग) *दिन के स्कूल में*

परिवार की ओर से ध्यान देने वाला व्यक्ति दिन के स्कूल में बच्चे की काफी सहायता कर सकता है। वह वर्ग शिक्षिका के साथ निरंतर संपर्क रख सकता है ताकि हर शाम बच्चे की सहायता करता रहे और बच्चे की प्रगति ठीक बनी रहे।

(घ) *आवासीय विद्यालय में*

जब बच्चा आवासीय विद्यालय में होता है तो हर सप्ताह के अंत में या कम से कम हर महीनें में एक बार परिवारजनों को यथासंगव बच्चे को घर लाना होता है। बच्चा निरंतर परिवारजनों के संपर्क में रहे यह महत्वपूर्ण है।

हर त्यौहार या समारोह के अवसर पर बच्चे को घर लाना चाहिए। इस बात में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चे के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह वांछित है तथा इसके द्वारा उसमें आत्मसम्मान व आत्मविश्वास भरना अनिवार्य है।

विकास के विभिन्न चरणों में परिवार की भूमिका

परिवार बच्चे की हर चरण में मदद कर सकता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे शारीरिक संपर्क की बहुत आवश्यकता होती है। वारंवार बच्चे को गले से लगाना, उसे बार–बार आश्वासित करता है तथा इससे वह प्रसन्न व आश्वस्त हो जाता है।

बच्चे की भावनात्मक स्थिरता के लिए उचित पैतृक प्रतिक्रिया आवश्यक होती है।

बच्चे के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक विकास के लिए परिवारजनों को आवश्यक इनपुट अवगत होने चाहिए। समस्या से बचाव

तथा अनुशासन के लिए पर्यायी रणनीति को हमेशा बनाए रखना माता–पिता के लिए आवश्यक है। बच्चों के जीवन पर परिवारजनों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के ध्यान, व्यक्त प्रसन्नता व दिलचस्पी के जरिये ही बच्चे के अंदर अपने 'स्वयम्' के विकास को पोषण मिलता है।

कुल जनों, दादा–दादी, नाना–नानी तथा अन्य परिवारजनों की भूमिका

सारे परिवार के सदस्य श्रवण बाधित बच्चे के विकास व कल्याण में योगदान कर सकते हैं यदि एक बार उनकी समझ में आ जाए कि बच्चे व उसके माता–पिता को कितना भावनात्मक सहारा प्रदान कर सकते हैं।

श्रवण बाधित बच्चे के विकास में कुल जन अहम भूमिका निभा सकते हैं। बच्चे अन्य बच्चों से सीखना पसंद करते हैं तथा वे अपने कुल जनों को अपना आदर्श प्रतिमान मानते हैं या बनाना पसंद करते हैं। साथ ही माता–पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुल जनों के बीच प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी न हो व स्वस्थ संबंध स्थापित हो सके।

कुल जन, जो किसी विकलांगता से पीड़ित न हो, को समझाया जाना चाहिए कि वह श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चे की प्रगति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वह बच्चे के साथ उपयोगी समय बिता सकते हैं तथा इससे वह बच्चे के प्रति अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

इसी तरह दादा–दादी, नाना–नानी भी श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चे तथा माता–पिता को सहारा दे सकते हैं। बच्चे के साथ अपना उपयोगी समय बिता सकते हैं तथा इससे एक प्रसन्न व अनुशासित बच्चे के तैयार होने में सहायता मिलेगी।

व्यावसायिक सलाहकार, परिवारजनों को उनकी भूमिका के महत्व

के बारे में बतला सकता है। इससे परिवारजनों में बंधुत्व का भाव जगेगा तथा उन्हें शीघ्र ही अहसास हो जाएगा कि परिवार के सभी लोगों की अहम भूमिका है। परिवार जनों में ऐसी जागृति उत्पन्न होगी कि परिवार के सभी लोगों का, चाहे बच्चे के साथ उनका कुछ भी संबंध हो, बच्चे के विकास में योगदान हो सकता है।

परिवार को परामर्श व मार्गदर्शन

परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके जरिये परिवारजनों को यह ज्ञात होता है कि श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चे को क्या–क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं तथा वे किस प्रकार बच्चे की प्रगति में सहायक बन सकते हैं। आमतौर पर बच्चा जब विशेष विद्यालय में लाया जाता है तो परिवारजन एक अवसाद तथा भ्रम के वातावरण में होते हैं। परिवार का सहारा बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परामर्श की प्रक्रिया परिवारजनों को इस लायक बनाती है कि वे व्यवसायिक सलाहकार का मार्गदर्शन समझ कर ग्रहण कर सकें।

मार्गदर्शन परिवारजनों के लिए एक सहायता है जिसके द्वारा वह बच्चों को सहायता देकर उनकी योग्यता विकसित करने की क्षमता बढ़ाते हैं। परिवार के मार्गदर्शन में व्यावसायिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मार्गदर्शन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए परिवार की आर्थिक, भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यावसायिकों को अपने सुझाव सरलता से व विनम्र भाव से देने चाहिए ताकि उनका अनुपालन अधिकाधिक हो।

आवश्यकता व महत्व

आम तौर पर परिवारजनों के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि श्रवण क्षतिग्रस्तता का बच्चे की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है? या तो वे बच्चे की विद्यालयीन शिक्षा के महत्व को नहीं समझ

पाते हैं या वे यह मान लेते हैं कि विद्यालयीन शिक्षा बच्चे में सुधार नहीं ला पाएगी। ज्यादातर मामलों में परिवारजन अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी और पर डालने का प्रयास करते हैं। श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चे की पढ़ाई में माता–पिता की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार को चाहिए कि वह बार–बार अपने आपको आश्वस्त करे कि बच्चा सीखने जा रहा है और इससे उसे लाभ होगा। इसमें परिवार का सहयोग और लाभ देगा।

बच्चे की सहायता करना सरल नहीं है। हर बच्चे की अपनी समस्याएँ और अपनी कमियाँ होती हैं। व्यावसायिकों के द्वारा उचित सलाह परिवारजनों को उत्प्रेरित कर सकती है तथा तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ विद्यालय की गतिविधियों की सहायता करेंगे।

सिद्धांत, चरण व तकनीक

आम तौर पर देखा जाता है कि हर सफल श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्ति के पीछे एक समर्पित व सहायक परिवार होता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम में व्यावसायिक सलाहकारों को चाहिए कि वे बच्चे की प्रगति में परिवार की भूमिका को कम न आंकें।

बालक की मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम, उसे परिवार से मिले सहारे पर निर्भर करती है। परामर्श व मार्गदर्शन परिवारजनों को वह विश्वास दिलाता है कि वे बच्चे के कल्याण में योगदान कर सकेंगे।

परिवारजनों को परामर्श, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप होती है। सभी परिवारों के लिए एक जैसा कार्यक्रम लाभप्रद नहीं है क्योंकि परिवारों के आकार, स्वरूप आदि भिन्न होते हैं उनमें भिन्नता उनकी शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण भी होती है।

प्रारंभ में परिवारजनों में चिंता व असुरक्षा की भावना होती है।

पहले चरण के अंतर्गत उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा तथा सामूहिक चर्चा के द्वारा उनकी चिंता कम की जाती है। अनेक अभिभावक बच्चे का ध्यान रखने वाले अपनी समस्याओं व चिंताओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ व्यक्तिगत बैठकें उन्हें शंकाओं के दायरे से बाहर आने में सहायता करती है। सामूहिक चर्चाएँ अपना अलग ही महत्व रखती हैं। अभिभावक को अहसास होता है कि ऐसी परेशानियाँ झेलने वाला वह अकेला नहीं है। अनेक लोग उसी की तरह समस्याएँ झेल रहे हैं। इनमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बातें खुद–ब–खुद उभर कर आती है तथा अभिभावक को अंत में खुद ही स्पष्ट हो जाता है कि उसे करना क्या है।

परिवारजनों को दो अति महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये हैं:

- श्रवण सहायक यंत्रों के संबंध में: हालांकि बच्चा श्रवण सहायक यंत्रों से परिचित नहीं होता है पर वह उन्हें पहनने के लिए तैयार हो जाता है। पर परिवारजन चाहते हैं कि श्रवण सहायक यंत्र दूसरों की नजरों में न आये। यह सत्य है कि श्रवण सहायक यंत्र दूसरों का ध्यान आकृष्ट करता है। आम तौर पर श्रवण सहायक यंत्र के साथ सामाजिक दाग जुड़ा होता है।

  माता–पिता के पास इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं होता कि वे अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटाएँ कि वे असंवेदनशील मित्र, संबंधी, अपरिचितों का सामना कर सकें। वह बच्चे को श्रवण सहायक यंत्र पहनने से न रोके तथा पहनने के बाद ही व्यस्त इलाकों तथा समारोहों आदि में जाये।

- दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि हर उस अवसर का

अधिकाधिक उपयोग करे जिससे बच्चे को अर्थपूर्ण भाषा ज्ञान मिल सके। यह कहना आसान है करना कठिन है। बच्चे के चारो ओर, जितनी घटनाएँ घटती होती हैं चाहे वे रोजमर्रा की हों या अन्य प्रकार की हों, उनका उपयोग भाषा ज्ञान वर्धन के लिए करना चाहिये। श्रवण क्षतिग्रस्त बालक के लिए भाषा की समझ तथा वाणी कुशलता का विकास करने के लिए लगातार सहायता लेना आवश्यक होता है। विद्यालय, बच्चों को पर्याप्त भाषा संबंधी अनुभव नहीं दिला सकता है क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक व कार्य संबंधी भाषा की स्थितियों की अनेक सीमाएँ होती हैं। परिवार ही इस संबंध में कारगर सहायता दे सकता है और इस संबंध में परिवारजनों को परामर्श की आवश्यकता होती है।

परिवारजनों को इस बारे में भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि वे बच्चे की क्षमता को समझें। कक्षा के अन्य बच्चों से अपने बच्चे की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हर बच्चे की सहायता इस प्रकार की जानी चाहिए के वह अपनी श्रेष्ठतम उपलब्धि हासिल करे।

परिवारजनों को यह मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए कि श्रवण अक्षम बच्चे की सहायता इस प्रकार करें ताकि उसे परिवार में उचित स्थान मिले। उसे बड़ों का आदर करना व छोटों की सहायता करना अवश्य सिखाया जाना चाहिए।

परिवारजन को बच्चे के साथ व्यवहार करते समय संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसे न तो सिर चढ़ाना चाहिए और न ही उसकी उपेक्षा करनी चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारजनों को चाहिए कि वे बच्चे का आदर करें और प्यार भी करें चाहे उसकी उपलब्धियाँ कुछ

भी हों। इससे बालक में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास विकसित होगा।

बताएँ सत्य है या असत्य

1. परिवार द्वारा दी गई अस्वीकृति तथा उपेक्षा किसी भी बच्चे पर कुप्रभाव डालेगी, विकलांग बालकों में कुछ अधिक ही है।
2. श्रवण बाधिता एक ऐसी विकलांगता है जो आसानी से पहचानी जा सकती है।
3. बच्चे की विकलांगता के बारे में ज्ञान पूरे परिवार की भूमिका व गतिमानता को बदल देता है जिसमें कुल संबंधों का भी समावेश होता है।
4. शीघ्र हस्तक्षेप बच्चे को ध्वनि के संसार में ले जा सकता है और भाषिक कुशलता हासिल करने में सहायक होता है।
5. परिवार की गलत मनोवृत्ति श्रवण बाधित बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप उपलब्ध कराने में विलम्ब करती है।
6. शिशुओं व बच्चों के कर्णस्राव के बारे में अंधविश्वास मौजूद हैं।
7. श्रवण बाधित बच्चों को परिवार से अधिक भावनात्मक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।
8. दादा–दादी श्रवण बाधित बच्चे के पालन पोषण में अधिक उपयोगी साबित नहीं होते हैं।

संक्षिप्त प्रश्न

श्रवण बाधित बच्चों के बारे में परिवार की आम कुधारणाएँ क्या–क्या हैं?

2. परिवार को जब पता चलता है कि उनका बच्चा श्रवण बाधित है तो उनकी प्रारंभिक भावनाएँ कैसी होती हैं?

3. श्रवण बाधित बच्चे को शीघ्र पुनर्वास की आवश्यकता क्यों है?

4. माता–पिता श्रवण बाधित बच्चे तथा कुलजनों के बीच स्वस्थ संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं?

5. वे दो महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं जिनके बारे में परिवारजनों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

6. परिवार को बच्चे की श्रवण बाधिता पहचानने में देर क्यों होती है?

7. शैक्षिक पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की क्या भूमिका है?

8. श्रवण बाधित बच्चे के परिवार को परामर्श व मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों होती है?

इकाई—2

विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति तथा उनके परिवारों के लिए रियायतें व सुविधाएँ—आर्थिक, शैक्षिक व अन्य प्रासंगिक

संरचना

- परिचय
- लक्ष्य
- कानून
  - ❖ विकलांग सहित व्यक्ति कानून 1995
  - ❖ राष्ट्रीय संस्थान /उच्च स्तर संस्थान
    - (क) पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना (जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र)
    - (ख) राष्ट्रपति की हाल की मंजूरी
    - (ग) भारतीय पुनर्वास परिषद (1992)
    - (घ) स्वालीनता प्रमस्तकीय पक्षाघात मंदबुद्धि तथा बहुविकलांगता से पीड़ितों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट
- केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतें
  - ❖ सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांगों को दी जाने वाली सहायता की योजना
  - ❖ यात्रा संबंधी रियायतें
  - ❖ डाक संबंधी रियायत
  - ❖ दूरसंचार
  - ❖ सीमा शुल्क संबंधी रियायतें
  - ❖ यात्रा भत्ता
  - ❖ आयकर रियायतें
  - ❖ अन्य आर्थिक लाभ

- ❖ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- ❖ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के माध्यम से विकलांगों को सहायता
- ❖ शैक्षिक : परिचय
- ❖ बच्चों का शैक्षिक भत्ता
- ❖ शैक्षिक सुविधाएँ/छात्रवृत्ति
- ❖ विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति
- ❖ फेलोशिप
- ❖ राष्ट्रीय सैंपल सेवा
- ❖ विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता
- ❖ विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय
- ❖ विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा की योजना
- ❖ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार
- ❖ मिशन मोड में विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ
- ❖ अन्य संबंधित सुविधाएँ
- ❖ विकलांगों के लिए रोजगार
- ❖ नौकरियों में आरक्षण
- ❖ प्राथमिकता के आधार पर आवास का अलॉटमेंट

- इकाई सारांश
- अपनी प्रगति की जाँच करें
- कार्य
- चर्चा/स्पष्टीकरण के मुद्दे
- संदर्भ ग्रंथ

2

विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति तथा उनके परिवारों के लिए रियायतें व सुविधाएँ—आर्थिक, शैक्षिक व अन्य प्रासंगिक

परिचय

विकलांग व्यक्ति के लिए परिवार को खर्च का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए श्रवण सहायक यंत्र व उसके रखरखाव व मरम्मत की आवश्यकता होती है इसी तरह नेत्रहीन व्यक्ति को साथ में चलने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है तथा जो व्यक्ति अस्थि विकलांगता से पीड़ित होता है, उसे साथ में चलने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह व्हील चैयर को धक्का दे सके। इन अतिरिक्त खर्चों की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने अनेक प्रकार की रियायतों की घोषणा की है जो विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न करों, यातायात, शिक्षा व अन्य लाभ प्रदान करती है।

लक्ष्य

- विकलांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण

- आर्थिक सहायता
- शैक्षिक सहायता/छात्रवृत्ति
- यात्रा संबंधी रियायतें
- भाषा संबंधी रियायतें
- कर रियायतें
- अन्य लाभ

कानून

विकलांगता सहित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995

भारत के समक्ष विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी गंभीर चुनौती है। विकलांग व्यक्तियों की आबादी का आकार यह बतलाता है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए राज्य और समाज दोनों को जमकर प्रयास करने होंगे।

विकलांगता सहित व्यक्ति कानून 1995

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालयः

मुख्य आयुक्त के कार्यों व कर्तव्यों में राज्य आयुक्तों के कार्यों तथा विकलांगों को उपलब्ध कराए गए अधिकार बीच समन्वय करना व उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए किए गए प्रयास तथा विकलांग व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की देख–रेख करना आदि का समावेश होता है

इस कानून के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मुख्य आयुक्त (विकलांग व्यक्तियों के लिए) समय–समय पर कार्यशालाएँ आयोजित करते रहे हैं। साथ ही वे विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत रूप से भेंट आयोजित करते हैं। राज्य आयुक्तों की नियुक्ति हो

चुकी है, तथा 9 राज्यों में ही राज्य आयुक्त स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं।

विकलांगता का अर्थ है

- नेत्रहीनता
- अल्प दृष्टि
- कुष्ठ रोग के उपचार के पश्चात
- श्रवण बाधिता
- चलन विकलांगता
- मंद बुद्धि
- मानसिक रोगी

विकलांगता सहित व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जो चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के अनुसार किसी भी प्रकार की विकलांगता से कम से कम चालीस प्रतिशत प्रभावित हो।

- नेत्रहीनता का अर्थ है वह अवस्था जिसमें व्यक्ति निम्नलिखित में से कम से कम किसी एक से पीड़ित हो:
  - ❖ पूर्ण नेत्रहीनता
  - ❖ बेहतर आँख में चश्मे के प्रयोग के बाद भी दृष्टि क्षमता 6/60 या 20/200 से अधिक नहीं,
  - ❖ दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री या उसमें भी कम,
- "अल्प दृष्टिवान व्यक्ति" वह व्यक्ति होता है जिसकी दृष्टि क्षमता इतनी कम हो कि वह उपचार या चश्मे के प्रयोग के बावजूद, अपनी दृष्टि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। उसे अनेक उपयुक्त सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है।

- "कुष्ठ रोग निरोग व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके कुष्ठ रोग का उपचार हो चुका है पर वह निम्न से पीड़ित है:
  - ❖ जिसके हाथों–पैरों, आँखों का आंशिक पक्षाघात हो तथा पलकों आदि में संवेदनशीलता समाप्त हो गई है।
  - ❖ जिसके अंगों में विकृति तथा आंशिक पक्षाघात उत्पन्न हो चुका है पर उसके हाथों, पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है और वह सामान्य धन उपार्जन के कर सकता है।
  - ❖ अत्यधिक शारीरिक विकृति तथा बढ़ती परिपक्व आयु जिसके कारण वह लाभदायक व्यवसाय न कर सकता हो।

इस प्रकार कुष्ठ रोग के उपचार के पश्चात व्यक्ति की परिभाषा उपरोक्त सभी के संदर्भ में तय की जाएगी।

- 'श्रवण बाधिता' का अर्थ है बेहतर कान में होने वाली फ्रीक्वेंसियों 60 डेसीबल या उससे अधिक नुकसान।
- 'चलन विकलांगता' का अर्थ है हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों में विकृति के कारण पर्याप्त बाधा जिससे अंगों का संचालन रुकता हो। यह स्थिति प्रमस्तकीय पक्षाघात के कारण भी उत्पन्न हो सकती है।
- 'प्रमस्तकीय पक्षाघात' का अर्थ है व्यक्ति की न बढ़ने वाली स्थितियों का समूह जिससे अंगों पर नियंत्रण असामान्य हो जाता है। यह स्थिति प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान या शैशवावस्था में हुई दुर्घटना के कारण मस्तिष्क में विकृति के कारण होती है।
- 'मंदबुद्धि' व्यक्ति के मस्तिष्क का बाधित या अपूर्ण विकास होता है, जिसके कारण उसकी बुद्धिमत्ता सामान्य से कम हो जाती है।

- 'मानसिक बीमारी' का अर्थ है किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति जो मंदबुद्धि से भिन्न हो।

विकलांगता सहित व्यक्ति कानून ने विकलांगों के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कानूनी जामा पहना दिया है। जिला केन्द्रों की स्थापना के जरिये भारत सरकार ने इन सेवाओं का विस्तार जिला स्तर तथा राष्ट्र स्तर पर करना प्रारंभ किया है।

राष्ट्रीय संस्थान/उच्च स्तर संस्थान

- दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.वी.एच.) देहरादून
- मंदबुद्धि के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.एम.एच.) सिकंदराबाद
- अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान श्रवण विकलांगों के लिए, (एन.आई.एच.एच.) मुंबई
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय संस्थान अस्थि विकलांगों के लिए (एन.आई.ओ.एच.) कोलकाता
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान भौतिक विकलांगों के लिए, नई दिल्ली
- पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधन हेतु राष्ट्रीय संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च) (निरटार) कटक
- मिश्रित क्षेत्रीय केन्द्र विकलांगों के लिए (सी.आर.सी.)
- क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त वाले व्यक्तियों के लिए (आर.आर.सी.)

- भारतीय मेरूदंड आघात केन्द्र (इंडियन स्पाइनल इंजुरी सेंटर) नई दिल्ली
- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी)
- आर्टीफिशियल लिंब्स मैनुफैक्चरिंग कारपारेशन ऑफ इंडिया, (अलिम्को) कानपुर
- नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन एच एफ डी सी)
- नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेल्फेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिस्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलिटीज़
- भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.)
- जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डिस्टिक्ट डिसेबिलिटीज रिहैबिलिटेशन सेंटर) (डी.डी.आर.सी.)

इन संस्थानों ने दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के विकलांग व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर शामिल करने के लिए कैंप पद्धति अपनाई है। राष्ट्रीय संस्थानों की आधारभूत संरचना में सुधार किया गया है तथा मानव संसाधन विकास गतिविधियों को सशक्त करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है जिसमें तकनीकी शैक्षिक पदों का प्रयोजन, वर्तमान पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि तथा नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

संस्थानों ने विकलांगों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी व गैर–सरकारी लोगों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए हैं। इसके अलावा संस्थान लगातार प्रत्यक्ष मूल्यांकन व पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे कुछ आदर्श पूर्व विद्यालय व व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं। उन्होंने सामुदायिक जागृति कार्यक्रम, कृत्रिम अंग फिट करने

व पुनर्वास कैंप चलाने, विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित करने जैसे काम भी किये हैं।

अपनी दूर–दूर तक की सेवाओं से उन्होंने समुदायों को, विकलांगता से बचाव, शीघ्र पहचान, विकलांगों के लिए उचित हस्तक्षेप व पुनर्वास सेवाओं के बारे में संवेदनशील किया है। इन संस्थानों ने मंदबुद्धि, वाणी, श्रवण व दृष्टि अक्षमता से पीड़ितों के लिए कार्यकारी अनुसंधान तथा पुनर्वास हेतु सहायक उपकरणों में सुधार का काम किया है। राष्ट्रीय संस्थानों, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन सेंटरों, क्षेत्रीय रिहैबिलिटेशन केन्द्रों ने 2002–03 के दौरान 31 दिसम्बर 2002 तक पुनर्वास की 3,11,000 इकाई सेवाएँ संपन्न की जबकि 2001–02 में 3,60,000 तथा 2000–01 में, 3,58,000 इकाई सेवाएँ की गईं। नेशनल इंस्टीट्यूटों, सी.आर.सी. तथा आर.आर.सी. द्वारा कुल दी गई सेवाएँ बार चार्ट–I में दर्शाई गई हैं। इन संस्थानों ने मानव संसाधन विकास हेतु अनेक दीर्घकालिक/अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाए हैं जिनमें 2002–03 में 27,041 व्यक्ति लाभान्वित हुए जबकि 2001–02 में 18947 तथा 2000–01 में 10567 व्यक्ति लाभान्वित हुए, देखें बार चार्ट–II

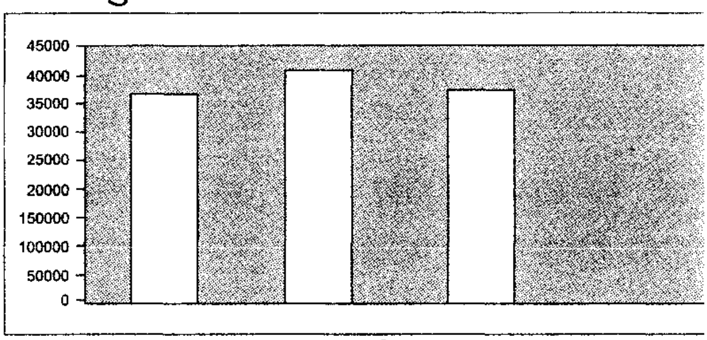

चार्ट-I

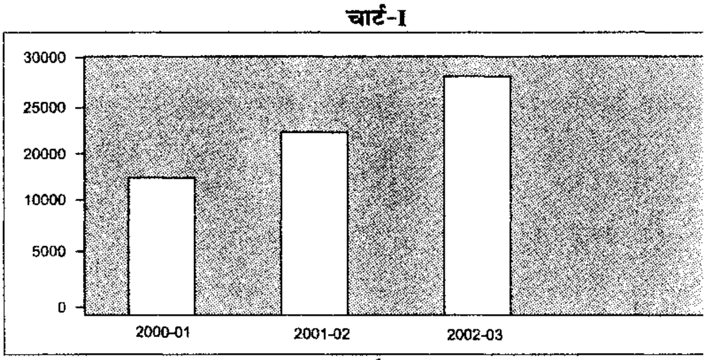

चार्ट-II

उदाहरण

(क)पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना (जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र)

जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र से, जो प्रमुख पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती हैं या अपेक्षित होती हैं, उनमें निम्न प्रमुख हैं :

- विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करवाने में सहायता करना,
- सहायक उपकरणों की आवश्यकता का मूल्यांकन,
- सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराना तथा फिट करना,
- सहायक उपकरणों को मंगाने के लिए फॉलोअप तथा बाद में उनकी मरम्मत,
- चिकित्सात्मक सेवाएँ (ऑक्यूपेशनल थेरापी, फिजियोथेरापी आदि),
- अवरोधमुक्त वातावरण का प्रसार,
- विकलांगता से बचाव को बढ़ाना तथा प्रोत्साहित करना तथा मजबूत करना, शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप,
- विकलांगों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए सहायक व पूरक सेवाएँ प्रदान करना,
- शिक्षकों, समुदाय, परिवार आदि को आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण देना,
- विकलांग व्यक्तियों को शीघ्र प्रेरित करने, शीघ्र उत्तेजित करने के लिए प्रशिक्षण देना ताकि वे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार प्राप्त कर सकें।
- विकलांगों के लिए उचित व्यवसाय की पहचान करना, साथ ही यह ध्यान में रखना कि स्थानीय संसाधन कौन से हैं। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण की संरचना करना तथा उपलब्ध कराना, उचित रोजगारों की पहचान करना ताकि वे

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें।

- वर्तमान शैक्षिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक संस्थानों के लिए संदर्भित (रेफरल) सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(ख) राष्ट्रपति की हाल की मंजूरी

विकलांग व्यक्तियों के लिए 1995 का विधेयक अति महत्वपूर्ण था। इस कानून से विकलांग व्यक्ति अपनी रोजाना की परेशानियों को हल करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे निम्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन सुनिश्चित होते हैं :

- 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा,
- नौकरियों में आरक्षण,
- राज्य द्वारा निशुल्क चिकित्सात्मक देख–रेख,
- प्रशिक्षण व पुनर्वास,
- संक्षेप में यह कानून विकलांगों के लिए समान अवसर, सुरक्षा, पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।

(ग) भारतीय पुनर्वास परिषद (1992)

भारत सरकार ने, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की है जिससे विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायिकों के प्रशिक्षण में एकरूप मानक लागू करने के लिए केन्द्रीय पुनर्वास अभिलेख तथा अन्य संबंधित मामलों के रख–रखाव के लिए। भारतीय पुनर्वास परिषद कानून का क्रियान्वन किया गया तथा यह 31 जुलाई 1993 से लागू है।

परिषद के उद्देश्य व लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानदंड निश्चित करना,

- पूरे देश के सरकारी संस्थानों में इन मानदंडों को विनियमित करना,
- विदेशी शैक्षिक अर्हता को मान्यता देना,
- भारत व विदेश में स्थित शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना,
- शैक्षिक अर्हता को मान्यता देना,
- शैक्षिक अर्हता की मान्यता वापस लेना,
- भारत व विदेशों में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं का निरीक्षण करना,
- अकर्मण्य संस्थानों की मान्यता समाप्त करना,
- भारतीय पुनर्वास अभिलेख का अनुरक्षण

(घ) स्वालीनता प्रमस्तकीय पक्षाघात मंदबुद्धि तथा बहुविकलांगता से पीड़ितों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट

राष्ट्रीय ट्रस्ट एक विधिक संस्था है जिसकी स्थापना 'दि नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिस्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ एक्ट, 1999' के अंतर्गत हुई थी। इस न्यास (ट्रस्ट) का लक्ष्य हैं विकलांगों को लायक बनाना तथा उनको सशक्त करना ताकि वे अपना जीवन स्वतंत्र रूप से और अपने नजदीकी समुदाय के बीच बिता सके। न्यास अन्य पंजीकृत संस्थाओं की भी सहायता करता है ताकि विकलांगों व उनके परिवारों में संकट के समय सहायता दी जा सके। जब विकलांग व्यक्ति के माता–पिता या अभिभावक का देहान्त हो जाय तब भी उनकी देखरेख व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे। भारत सरकार ने न्यास (ट्रस्ट) की निधि में 100 करोड़ रुपये लगाए हैं तथा इस निधि से प्राप्त आय का उपयोग ट्रस्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों व योजनाओं के कार्यान्वयन में होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतें

सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांगों को दी जाने वाली सहायता की योजना

सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग एक योजना चलाता है जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण आदि की खरीद या फिटिंग हेतु सहायता दी जाती है। इसका लक्ष्य है उनके शारीरिक पुनर्वास को बढ़ावा देना तथा साथ ही उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने योग्य बनाना।

उदाहरणार्थ श्रवण बाधित व्यक्तियों को विभिन्न केंद्रों पर इस योजना के अंतर्गत श्रवण सहायक उपकरण निशुल्क या 50 प्रतिशत दाम पर उपलब्ध कराए जाते हैं जिनकी कीमत 25 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक होती है। यह उनकी आय पर निर्भर करता है। बच्चों के मामले में माता–पिता की आय देखी जाती है।

यदि मासिक आय 5000 रुपये से कम होती है तो सहायक उपकरण निशुल्क प्रदान किया जाता है। यदि आय 5000 से 8000 रुपये के बीच में होती है तो उसे सहायक उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर प्रदान किये जाते हैं।

पात्रता

- भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
- वह व्यक्ति जो पंजीकृत डाक्टर द्वारा विकलांग घोषित किया गया हो।
- व्यक्ति जो नौकरी करता हो/स्वरोजगार करता हो या पेंशन पाता हो तथा उसकी औसत मासिक आय सभी स्रोतों से 5000 रुपये से अधिक न हो।
- यदि व्यक्ति किसी पर निर्भर हो तो माता–पिता या अभिभावक की आय 5000 रुपये से अधिक न हो।

- व्यक्ति जिसने पिछले दो वर्षों में इसी उद्देश्य के लिए किसी सरकारी, स्थानीय संस्था या गैर सरकारी संस्था से आर्थिक सहायता न प्राप्त की हो। इस मामले में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह सीमा एक वर्ष ही है।

यात्रा संबंधी रियायतें

सड़क द्वारा

अनेक राज्य सरकारे राज्य में चलाई जाने वाली बसों में पूर्ण या 50 प्रतिशत रियायत देती हैं।

रेल द्वारा

रेल मंत्रालय विकलांग व्यक्ति को एक सहायक के साथ यात्रा करने की अनुमति देता है। प्रथम, द्वितीय तथा स्लीपर क्लासों में 75 प्रतिशत तक तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सीजन टिकटों में 50 प्रतिशत तक की रियायत देता है।

हवाई यात्रा

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन घरेलू उड़ानों में नेत्रहीनों को एक यात्रा या एक मार्ग पर यात्रा करने पर यात्रा किराये में 50 प्रतिशत रियायत देता है।

उड़ान के दौरान जो नेत्रहीन व्यक्ति सहायक के बिना यात्रा करते हैं उनकी देखभाल विमान परिचारिका या स्टीवर्ड को करना होता है। हवाई अड्डे पर जन संपर्क अधिकारी या ट्रैफिक अधिकारी ऐसे यात्रियों की सहायता करते हैं। वे यात्रियों को विमान के आने जाने की सूचना आदि दे देते हैं। सहायक को पूरा किराया देना होता है। यह रियायत इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दी जाने वाली अन्य रियायतों के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है।

अस्थि विकलांगों को यह सेवा उपलब्ध नहीं है। पर उन्हें बैसाखियों, ब्रेसेस या अन्य कृत्रिम अंगों (प्रोस्थेटिक उपकरणों) को निःशुल्क ले जाने की अनुमति होती है।

- विकलांग सरकारी कर्मचारियों को 200 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाता है।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए उन्हें पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण–पत्र जमा करना पड़ता है।

डाक संबंधी रियायत

- नेत्रहीनों के लिए साहित्य ,चाहे देश के अंदर या विदेश में यदि सड़क/रेल मार्ग द्वारा भेजा जाता है तो यह निशुल्क होता है। यदि यह हवाई मार्ग से भेजा जाता है तो हवाई मेल का भुगतान करना पड़ेगा। इस मामले में निम्न शुल्कों में रियायत होती हैः 1. पंजीकृत शुल्क, 2. प्राप्ति का शुल्क, 3. रसीद की अटैस्टेड प्रति का शुल्क।

डाक के लिए सामग्री व शर्तें

- ब्रेल या अन्य कोई विशेष प्रकार के कागज, पत्रिकाएँ, पुस्तकें या विकलांगों के प्रयोग हेतु विशेष सामग्री नेत्रहीन साहित्य पैकेट के रूप में भेजी जा सकती है बशर्ते इसे निम्न वर्णित शर्तों के अंतर्गत भेजा गया हो।

  खुदे अक्षरों वाली प्लेटे, नेत्रहीनों के प्रयोग हेतु ध्वनि रिकार्ड, डिस्क, फिल्म, टेप, वायर जिन पर नेत्रहीनों के लिए ध्वनि दर्ज की गई हो, जब किसी आधिकारिक रूप से मान्य नेत्रहीनों की संस्था को भेजी जाती है या द्वारा भेजी जाती है तो उसे भी नेत्रहीन साहित्य ही माना जाता है।

- पैकेट में सिर्फ वे वस्तुएँ होनी चाहिए जो नेत्रहीनों के प्रयोग के लिए हों। साथ में और कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए जैसे लिखित या मुद्रित सामग्री। सिर्फ शीर्षक, पुस्तक या पत्रिका की विषय सूची, लिफाफा आदि जो वापसी के लिए

उपयोगी हो लिखित या मुद्रित हो सकता है।

- पैकेट के ऊपर "नेत्रहीनों के लिए साहित्य" स्पष्ट लिखा होना चाहिए। साथ ही भेजने वाले का नाम व पता लिखा या छपा होना चाहिए।
- पैकेट बिना लिफाफे के भेजना चाहिए तथा वह दोनों ओर से खुला होना चाहिए ताकि इसे जाँच के लिए आसानी से खोला जा सके।
- नेत्रहीनों के लिए साहित्य के पैकेट का भार सात किलो से अधिक नहीं होना चाहिए।
- नेत्रहीनों के लिए साहित्य के पैकेट का आकार छपे हुए कागजों के आकार का नहीं होना चाहिए।

दूरसंचार

- नेत्रहीनों को टेलीफोन की सुविधा रियायती दरों पर मिलती है। यह रियायत सामान्य दर का 50 प्रतिशत होती है।
- अग्रिम किराया–वार्षिक अग्रिम किराया का 50 प्रतिशत तथा द्विमासिक किराया जो निजी उपभोक्ता का होता है। यह सुविधा नॉन ओ.वाई.टी. (एस) श्रेणी को उपलब्ध होती है।
- एस.टी.डी., पी.सी.ओ. के आवंटन में वरीयता।

आवेदक की शैक्षिक योग्यता

1. ग्रामीण इलाकों में आठवीं या मिडिल पास होनी चाहिए।
2. शहरी इलाकों में न्यूनतम दसवीं या हाईस्कूल होनी चाहिए।

सीमा शुल्क संबंधी रियायतें

भारत सरकार निम्नलिखित के अनुसार विकलांगों के व्यक्तिगत उपयोग हेतु सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क, अतिरिक्त कर

आदि में पूरी रियायत देती है। इसके लिए आयातकर्ता असिस्टेंट कलैक्टर ऑफ कस्टम्स के समक्ष जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन या संबंधित राज्य के स्वास्थ्य निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि आयातकर्ता विशिष्ट प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है तथा जिन आयातित उपकरणों पर रियायत मांगी जा रही है, उनसे उसे विकलांगता से राहत और सहायता मिलेगी।

दृष्टिहीन व बधिरों से जुड़ी संस्थाऐं, जिनमे पंजीकृत सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं, विदेशों से विकलांगों के प्रयोग वाले उपकरण, जो कि उपहार में मिले हों या विदेशी अनुदान से खरीदी हों, मंगवा सकते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की सी.एस.आर. संख्या 550 (ई), दिनांक 10–11–1978 की अधिसूचना अनुसार इन पर भी सीमाशुल्क की निम्नलिखित रियायतें लागू होंगी।

- सीमा शुल्क टैरिफ कानून 1975 (51), 1975 की पहली सूची के अनुसार ली जाने वाली कस्टम ड्यूटी,
- वित्त कानून की धारा 35 की उपधरा–1 के अनुसार ली जाने वाली पूरी आक्सीलियरी ड्यूटी,
- उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ कानून की धारा–3 के अनुसार ऐसी वस्तुओं के आयात के समय ली जाने वाली पूरी अतिरिक्त ड्यूटी,
- नेत्रहीनों के लिए उपयोगी उपकरण,
- श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिए उपयोगी श्रवण सहायक यंत्र तथा अन्य श्रव्य–दृश्य उपकरण
- नेत्रहीनों व श्रवण बाधितों के लिए **उपयोगी व्यवसायिक** कार्यों में सहायक उपकरण

- नेत्रहीनों व श्रवण बाधितों को प्रशिक्षण देने या उन्हें आवश्यक निर्देश आदि देने में जो भी उपकरण, मशीनें लगते हैं, पुर्जे, साथ में लगने वाला सामान आदि।

यात्रा भत्ता

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा संशोधित आदेश संख्या एफ. 19029/2/86 ई 4 तथा एफ 19029/1/189 ई 4 दिनांक 16–5–87 तथा 12–9–89 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो नियमित प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं तथा जिनमें तदर्थ रूप से कार्यरत व्यक्ति भी शामिल हैं तथा जो नेत्रहीन या अस्थि विकलांग (उपर या निचले अंगों में विकलांगता) हैं, उन्हें उनके मूल वेतन का 5 प्रतिशत (अधिकतम 100 रु.) यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए निम्न शर्तें हैं :

- अस्थि विकलांग कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए तब हकदार होगा जब तक वह न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता का शिकार होगा। उसके उपरी या निचले अंगों में न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी/आंशिक विकलांगता होनी चाहिए या दोनों निचले व उपरी अंगों में 50 प्रतिशत स्थायी या आंशिक विकलांगता होनी चाहिए। विकलांगता को प्रमाणित करने का अधिकार सरकारी सिविल अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ विभाग को होगा।
- यह भत्ता छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) के दिनों में लागू नहीं होगा। साथ ही नौकरी शुरू करते समय या निलंबन के समय भी लागू नहीं होगा।

आयकर रियायतें

विकलांगों के लिए राहत

आयकर धारा 80 डी.डी. के अनुसार किसी व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा विकलांग आश्रित के चिकित्सकीय उपचार जिसमें

देखरेख (नर्सिंग) भी शामिल है, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास आदि पर या अतिरिक्त देखरेख पर जो खर्च होता है उसकी सीमा बढ़ाकर 12000 रुपये से 15000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है।

धारा 80पी इसलिए जोड़ी गई है ताकि वे माता–पिता जिसके हाथ में विकलांग अवयस्क की आय आती है और धारा 64 के अनुसार जुड़ती है उनको रियायत का दावा करने का अधिकार हो। वह धारा 80यू के अंतर्गत 20,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है, यदि वह स्वयं स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो। इस स्थायी विकलांगता में नेत्रहीनता व मंदबुद्धि भी शामिल हैं।

धारा 88 बी के अनुसार भारत में निवास करने व्यक्तियों को जो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, अतिरिक्त रियायत दी जाती है। पहले यह रियायत 10 प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही इस रियायत की सीमा जो पहले 50,000 रुपये वार्षिक आय वालों तक के लिए थी अब बढ़ाकर 75000 रुपये है।

बाद में 80यू के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली रियायत को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया।

पाँचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वे विकलांग कर्मचारियों तथा विकलांगों के माता–पिता, जो केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत सेवारत हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। अब उन्हें आयकर में 40,000 रुपए तक की छूट मिलती है और साथ ही व्यवसायिक कर से भी मिलती है।

अन्य आर्थिक लाभ

विकलांगों के लिए कल्याण योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय ने ग्रामीण व शहरी इलाकों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया है। इस योजना के अंतर्गत विकलांगों तथा

विकलांगों की संस्थानों को स्वरोजगार हेतु कर्ज दिया जाएगा। यह कर्ज राष्ट्रीय हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा दिया जा रहा है।

- स्वरोजगार के लिए कर्ज – 3 लाख तक
- कृषि कार्यों के लिए कर्ज – 5 लाख तक
- मंदबुद्धि, प्रमस्तकीय पक्षाघात, स्वालीनता से पीड़ितों को निजी उद्योग लगाने के लिए – तीन लाख तक,

उपरोक्त सभी मामलों में 40 प्रतिशत तक विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

- श्रवण सहायक उपकरण तथा विकलांग आश्रितों का बीमा एल.आई.सी., न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आदि करती है।
- सरकारी कर्मचारी, जो विकलांग आश्रित के माता–पिता हैं, विकलांगों के लिए उपयोग में आने वाले श्रवण सहायक उपकरण आदि के दाम अपने विभाग से ले सकता है। इस मामले में श्रवण विकलांग के विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यक्ति का श्रवण ह्रास बेहतर कान में न्यूनतम 60 डेसीबल होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र सरकारी अस्पतालों के सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या सरकारी संस्थान के निदेशक द्वारा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विकलांग व्यक्तियों, संस्थाओं जो विकलांगों के लिए कार्य करती है, विभिन्न दरों पर कर्ज देते हैं। उसके लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

- व्यक्ति लाभ कमा सकने वाला कार्य कर रहा हो,
- परिवार के पास सिंचाईयुक्त एक एकड़ से अधिक जमीन या सिंचाई रहित 25 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।

- उसके पास एक समय में दो स्रोतों से कर्ज नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति को ज्यादातर स्वयं कार्य करना चाहिए या अन्य परिवारजनों की सहायता से कार्य करना चाहिए। अन्य साझेदार हो सकते हैं पर वह नियमित आधार पर वेतनभोगी कर्मचारी नहीं रख सकता है।

इस योजना से संबंधित एक नोट डी.ई.ए.–वाइड डी.ओ. संख्या एफ 301/89–एस.सी.टी. (बी) दिनांक 8.9.89 सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा भेजी गयी है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के माध्यम से विकलांगों को सहायता

आई.आर.डी.पी. के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत कोटा निर्धरित किया गया है :

- सामान्य इलाकों में 4000 रुपये,
- सूखा पीड़ित या रेगिस्तान विकास कार्यक्रम वाले इलाकों में 5000 रुपये,
- विकलांग लाभार्थियों के लिए 6000 रुपये,

शैक्षिक: परिचय

विकलांगता सहित व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) कानून 1995 के अनुसार विकलांग बच्चों को सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के जरिये निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विकलांग बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा हेतु निर्बाध पहुँच होनी चाहिए। कानून में इस बात का उल्लेख है कि ऐसे व्यक्ति चाहे वे भारत के किसी भी भाग में रहते हों, उनकी स्कूल तक पहुँच होनी चाहिए। इन विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक

प्रशिक्षण के लिए भी संसाधन होने चाहिए।

अनेक विकलांग बच्चे पाँचवीं कक्षा के बाद पूर्णकालिक पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्थानीय अधिकारी ऐसी योजना बना सकते हैं जिनके द्वारा अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करनी हो ताकि ग्रामीण इलाकों में सोलह वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों को साक्षरता व काम काज करने की क्षमता अनौपचारिक शिक्षा द्वारा दी जा सके। यह कार्य खुले विद्यालय या विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जा सकता है, जहाँ इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों या अन्य मीडिया माध्यमों से बातचीत के जरिये चर्चाएँ या कक्षाएँ आयोजित हो सकती हो, वहाँ पर हर बच्चे को निशुल्क पुस्तकें व उपकरण भी प्रदान किए जाएँगे।

विकलांगता सहित व्यक्ति कानून नए सहायक उपकरणों की संरचना व विकास के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा यह उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये विकलांगों के लिए बने विद्यालयों हेतु आवश्यक मानव संसाधन भी तैयार करेगा। उचित एजेंसी के माध्यम से व्यापक शिक्षण व्यवस्था कायम की जाती है। इसमें यातायात व्यवस्था, किताबों, वर्दी की आपूर्ति आदि सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा वास्तु कला संबंधी सारे अवरोधों को शिक्षण संस्थान से हटाया जाता है और पाठ्यक्रम को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाता है ताकि क्षतिग्रस्त छात्रों को लाभ हो।

विभिन्न परीक्षा बोर्डों ने विकलांगों को सुविधा दे रखी है जैसे नेत्रहीन परीक्षार्थी को एक सहायक प्रदान करना ताकि परीक्षार्थी, उससे श्रुतिलेखन करवा सके। इसी तरह अल्प दृष्टिवान बच्चों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाता है। इसी प्रकार श्रवण बाधित बच्चों को मात्र एक भाषा लेने की अनुमति दी जाती है।

एक बच्चे को शिक्षित करना एक नयी चुनौती के समान होता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम बच्चे को वास्तव

में शिक्षित नहीं करते हैं। हम बच्चे को सिर्फ इनपुट उपलब्ध कराते हैं। यह वास्तव में बच्चा ही है जो अपने अनुभवों से सीखता है। वह सीखता है जो वह देखता, सुनता, सूंघता, चखता या स्पर्श करता है। वह अपने अनुभवों से सीखता है तथा शिक्षक का दायित्व होता है कि वह बच्चे को अनुभव उपलब्ध कराए। ये अनुभव उसकी आयु व योग्यता के अनुकूल होने चाहिए।

शीघ्र पहचान व शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तथा इनमें विकलांग छात्रों का पुनर्वास प्रारंभ हो रहा है। इसका केंद्र बिंदु यही है कि बच्चे की द्वितीयक समस्याएँ समाप्त हो जाए तथा संवेदनशील आयु में वह लाभ उठा सके।

बच्चों का शैक्षिक भत्ता

बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, ट्यूशन फीस का पुनर्भुगतान आदि जो केन्द्रीय कर्मचारियों के दिये जाते हैं, केन्द्रीय नागरिक सेवा (शैक्षिक सहायता) आदेश 1988 से नियंत्रित है। इस आदेश के अंतर्गत केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के विकलांग तथा मंदबुद्धि बच्चों को जो ट्यूशन फीस का पुनर्भुगतान किया जाता है उसकी सीमा को 50 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सामान्य बच्चों के लिए यह मात्रा 20 रुपये प्रतिमाह है। इस विषय से संबंधित आदेश संख्या 21011/21/88 प्रतिष्ठान (भत्ते) दिनांक 17–10–86 जो मंत्रालय कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतें, पेंशन व्यक्तिगत प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया।

विकलांग बच्चों को इस योजना के अंतर्गत अन्य सहायता सामान्य बच्चों की दर पर मिलेगी।

आदेश के अनुसार ट्यूशन फीस 50 रुपये प्रतिमाह का पुनर्भुगतान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के बच्चों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व मंदबुद्धि बच्चों को मिलेगा।

शैक्षिक सुविधाएँ/छात्रवृत्ति

सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय की योजना कक्षा 9 से आगे सामान्य शिक्षा में तथा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति की योजना है।

समाज कल्याण विभाग: राज्य सरकारें भी पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेंगी।

विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति

केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत 9वीं कक्षा के पश्चात सामान्य शिक्षा, तकनीकी या व्यवसायिक शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति हर प्रकार के विकलांग छात्र–छात्रा को दी जाती है बशर्ते उसकी पिछली वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को छात्रवृत्ति उसी हिसाब से दी जाती है और यह उनके डिप्लोमा/सर्टिफिकेट स्तर के अनुरूप होती है।

पात्रता संबंधी आवश्यकताएँ : विकलांग व्यक्ति कानून के अनुसार

- विकलांगता सहित व्यक्ति कानून 1995 में दिये गए विवरण के अनुसार
- राष्ट्रीयता
- आय

आवेदन का तरीका: आवेदन पत्र राज्य सरकार के समाज कल्याण के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाता है। यह आवेदन उस संस्थान के प्रमुख के माध्यम से भेजा जाता है जिसमें छात्र/अप्रेंटिस/प्रशिक्षु पढ़ रहा है।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज होने चाहिए:

- पंजीकृत डॉक्टर/ई.इन.टी. विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र जो सरकारी संस्थान या अस्पताल में कार्यरत हो,
- अंकों का विवरणः पिछली परीक्षा की अंक प्रपत्र जो अंकों का प्रतिशत दर्शाती हो तथा यह केंद्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/संबद्ध संस्थान के प्रमुख या सांसद/विधायक द्वारा सत्यापित हो।

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय ने वर्ष 2002–03 से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हर प्रकार के विकलांग पुरुष व महिला छात्र–छात्राओं के लिए, प्रत्येक 250 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशी पाठ्यक्रम के अनुसार बदलती है। यह संस्थान के पास उपलब्ध आवासीय व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। यह इस प्रकार है :

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम**	**छात्रवृत्ति की दर (प्रति माह)**	
		छात्रावास में	**घर में रहने वाले**
1.	पी. एच. डी./एम. फिल, इंजीनियरिंग/भारतीय व अन्य प्रकार की वैद्यक पद्धति/कृषि/पशु चिकित्सा/सूचना प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी/ शिक्षा प्रबंधन/वास्तुकला/फिजियोथेरैपी/संगीत या अन्य विषय में स्नातकोत्तर/स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम	1,000	700
2.	डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम	700	400

छात्रवृत्ति पाने वाले को पाठ्यक्रम की फीस (अधिकतम दस हजार रुपये वार्षिक) का पुनर्भुगतान प्रति वर्ष किया जाएगा। आर्थिक सहायता कंप्यूटर खरीदने के लिए भी दी जा सकती है जिसमें नेत्रहीनों के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होती है बशर्ते नेत्रहीन या श्रवणहीन छात्र स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम कर रहा हो। प्रमस्तकीय पक्षाघात से पीड़ित छात्रों के लिए सहायक सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए भी सहायता मिलती है। 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता से पीड़ित छात्र जिनकी पारिवारिक मासिक आय 15000 रुपये से अधिक न हो तथा जिन्होंने मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो तथा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास की गई इस परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक हों इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। पर सहायता तभी मिलेगी जब पाठ्यक्रम एक वर्ष से अधिक की अवधि का होगा। वर्ष 2002–03 में इस छात्रवृत्ति के लिए 181 छात्रों का चयन हो चुका है।

फेलोशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली फेलोशिप में एक प्रतिशत विकलांगों के लिए आरक्षित किया है।

आई.टी.आई. तथा कालेजों में प्रवेश

राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले आई.टी.आई. में 3 प्रतिशत सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले (क्राफ्ट मैन) प्रशिक्षण कार्यक्रम में 136 व्यापार हैं तथा उसमें से उन व्यापार को छांटने का निर्देश दिया गया है जिनमें विकलांग जन आसानी से कार्य कर सकते हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा विकलांगों को प्रवेश देने का निर्देश दिया गया है ताकि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कामगारों में तीन प्रतिशत विकलांग अवश्य हों।

राष्ट्रीय सैंपल सेवा

राष्ट्रीय सैंपल सेवा के 47वें दौर में 35 विशिष्ट **सुविधाओं** के बारे में सूचनाएँ एकत्रित की गईं। विभिन्न आधारभूत **सुविधाओं** को मोटे तौर पर तीन समूहों में विभक्त किया गया है। ये हैं

- शिक्षा से संबंधित सुविधाएँ,
- सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित सुविधाएँ,
- विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएँ,

सुविधा की उपलब्ध्ता का निर्णय इस बात से होगा कि ग्रामीण जनों की सुविधा प्राप्त करने के लिए कितने किलोमीटर चलना पड़ता है।

शिक्षा व संबंधित सुविधाएँ

मौलिक या प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए शिक्षा की आधारभूत सुविधाओं का दो समूहों में वर्गीकरण किया गया है:

(क) प्राथमिक या आंशिक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सुविधाएँ,

(ख) उच्च या प्रारंभिक शिक्षा के बाद की शिक्षा,

प्राथमिक शिक्षा के लिए सुविधा का अर्थ है, कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएँ। अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा अन्य सुविधाओं की तुलना में ज्यादा फैली हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता

विकलांगों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक सुविधाओं जैसे एकीकृत शिक्षा केन्द्र, श्रवण बाधित, नेत्रहीनों या मंदबुद्धि के लिए विशेष विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा पुनर्वास के लिए संस्थान/संगठनों का बड़ा महत्व है तथा इन सुविधओं की उपलब्धता गांवों में कितनी है, इस बारे में सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक है।

चूँकि विकलांगों के लिए ये आधारभूत सूचनाएँ महँगी होती है तथा उनका रखरखाव भी महँगा होता है अतः इन सेवाओं का अध्ययन इस बात का ध्यान रखकर किया जाता है कि ये सुविधाएँ कितनी दूरी पर उपलब्ध हैं।

विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय

विकलांगों हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को योजना के अंतर्गत विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय खोलने हेतु 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इसी योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कार्यशालाओं तथा विकलांगों के लिए घर के लिए भी सहायता दी जाती है।

अन्य गतिविधियों जैसे भवन निर्माण, उपकरणों की खरीद, स्टाफ का वेतन आदि के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाता है।

विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा की योजना

यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित होती है जिसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। इसे समाज कल्याण द्वारा प्रारंभ किया गया था पर बाद में 1982 में उसे शिक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों को सामान्य विद्यालय प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत श्रवण बाधितों को निम्न भत्ते व सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं :

1. किताबों व लेखन सामग्री के लिए भत्ता 400 रुपये वार्षिक
2. वर्दी भत्ता 50 रुपये वार्षिक

विकलांग बच्चे जो उसी संस्थान में रहते हैं जहाँ वे पढ़ते हैं, उन्हें रहने खाने का वास्तविक खर्च प्रदान किया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 200 रुपये प्रति माह है।

आगे की जानकारियों/प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के नजदीकी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत सरकार 1969 से हर वर्ष विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दे रही है। ये पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों तथा विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों व संगठनों के सम्मान हेतु हैं। लक्ष्य यह हैं कि विकलांगता से संबंधित विषयों पर जनता का ध्यान आकृष्ट किया जाए तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 1995 से हर वर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। यह कार्य संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव संख्या 46/3 दिनांक 14–10–1992 के अनुरूप है तथा राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी दिन दिये जाते हैं।

मिशन मोड में विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय एक योजना का कार्यान्वयन करता है जिसका शीर्षक है 'मिशन मोड में विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजना' इसका लक्ष्य है विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ योग्य तथा आविष्कारी तकनीकी उपकरण विकसित करना। इस प्रकार के सहायक उपकरणों के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, स्वायत्त संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा आर. एंड डी. इंजीनियरों को पूर्ण सहायता मिलती है ताकि वे इनके लिए अनुसंधान व विकास कार्य कर सकें।

अन्य संबंधित सुविधाएँ

विकलांग व्यक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क व परीक्षा शुल्क से छूट मिलती है।

कुछ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांगों को छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

विकलांगों के लिए रोजगार

यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का लक्ष्य है विकलांग व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार दिलाने में मदद करना। यह कार्य विकलांगों के लिए बने विशेष रोजगार केन्द्रों या सामान्य रोजगार केन्द्रों के अंतर्गत विशेष कक्ष (सेल) के माध्यम से किया जाता है। यह योजना राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के श्रम मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सहायता 80:20 (केन्द्र–राज्य अंश आधार) पर विशेष रोजगार केन्द्रों के मामलों में उपलब्ध होती है। 100 प्रतिशत सहायता विशेष सेलों के माध्यम में उपलब्ध होती है।

नौकरियों में आरक्षण

भारत सरकार ने विभिन्न समूहों में चिन्हित पदों पर 3 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित किये हैं। विकलांग व्यक्तियों में जो वर्ग इसका लाभ उठा रहे हैं वे हैं नेत्रहीन, श्रवण बाधित, अस्थि विकलांग। इन्हें केन्द्र सरकार की सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी उपक्रमों में एक–एक प्रतिशत आरक्षण मिलता है।

आयु में रियायत

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को क्लर्क व अधीनस्थ पदों पर उपरी आयु सीमा में दस वर्ष की छूट मिलती है।

पदोन्नति

यदि विकलांग पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त हैं और अपने दायित्वों को संतोषजनक तरीके से निभा सकते हैं तो उन्हें मात्र शारीरिक विकलांगता के आधार पर पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित

नहीं किया जाएगा।

प्राथमिकता के आधार पर आवास का आवंटन

जब विशेष संस्तुति समिति संस्तुति दे देती है तथा शहरी मामलों व रोजगार मंत्रालय अनुमोदित कर देता है तो विकलांगों को सामान्य आवासों में से तदर्थ आधार पर आवंटन दे दिया जाता है।

संपदा निदेशालय अस्थि विकलांगों, नेत्रहीनता व श्रवणबाधिता से पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आवासों का आवंटन करता है।

इकाई सारांश

विकलांगों को पूरी हिम्मत व विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों ने विकलांगों को यात्रा, करों तथा छात्रवृत्ति में अनेक रियायतें प्रदान की हैं। समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा हासिल करना तथा सामान्य समुदाय के साथ इनके द्वारा पूरी भागीदार के रूप में सामान्य विकास संभव होगा।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन करें।
2. विकलांगों को दी जाने वाली आर्थिक सुविधाओं का संक्षेप में वर्णन करें।
3. विकलांगों को दी जाने वाली यात्रा संबंधी रियायतों का संक्षिप्त वर्णन करें।
4. समान शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार कौन से उपाय करती है?
5. विकलांग व्यक्तियों को अन्य कौन से लाभ प्रदान किये जाते हैं?
6. आर.सी.आई. डी.डी.आर.सी. पी.डब्ल्यू.डी. कानून का विस्तारित नाम लिखें।

कार्य

अपने क्षेत्र के पाँच बच्चों की पहचान करें जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायतों से लाभान्वित हो सकते हैं। यह भी दर्शाएँ कि वे किस प्रकार लाभान्वित होंगे।

चर्चा/स्पष्टीकरण के मुद्दे

....

....

....

....

संदर्भ ग्रंथ

1. ''डायरेक्टरी'' प्रकाशित ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. ''भारत में श्रवण अक्षमों के लिए पुनर्वास संसाधन''
2. ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. द्वारा प्रकाशित हैंडबुक ''श्रवण अक्षमों के लिए सुविधाएँ व रियायतें'',
3. विकलांगों के लिए स्थापित डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर का मैनुअल, प्रकाशित भारत सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
4. भारत सरकार के सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय की 2002–03 की वार्षिक रिपोर्ट

www.socialjustice.nic.in

www.ayjnihh.org

इकाई –3

अभिभावकों की भागीदारी तथा सशक्तिकरण

संरचना

- व्याप्ती तथा आवश्यकता
- गृह प्रशिक्षण
- माता–पिता व्यवसायिकों सलाहकारों की भागीदारी
- अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पत्राचार पाठ्यक्रम
- भागीदारी में आने वाली समस्याएँ
- बताएँ सत्य या असत्य
- संक्षिप्त उत्तर दें

3

अभिभावकों की भागीदारी तथा सशक्तिकरण

व्याप्ती व आवश्यकता

बच्चे के विकास में अभिभावक अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे व उसकी माता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता होता है। यह रिश्ता बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों तक बना रहता है। अतः इस बंधन को मजबूत बनाने तथा उसका अधिकतम इस्तेमाल करने से बच्चे को समझ में आता है कि बच्चा क्या चाह रहा है। हालांकि तब तक बच्चे का भाषा व वाचा कौशल विकसित नहीं हो पाता है। यह बंधन माता को एक अवसर भी देता है कि बच्चा उसकी बातों को सुने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी माता को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है।

श्रवण बाधित बच्चा उस प्रकार भाषा नहीं सीख पाता है जिस प्रकार सामान्य बच्चे या बिना श्रवण बाधिता वाले बच्चे सीखते हैं।

सामान्य सुनने वाला बच्चा अपने घर में होने वाली सारी बातचीत को सुन लेता है। परिस्थितियों के अनुसार जो नुक्ते उसे प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वह समझ भी लेता है कि किस समय क्या

बोला जा रहा है। तब वह भाषा हासिल करता है और बोलना प्रारंभ कर देता है। श्रवण बाधित बच्चा वह सब बिल्कुल नहीं सुन पाता है जो कुछ घर में बोला जा रहा है। अतः उसकी स्वयम् की भाषा का विकास नहीं हो पाता है।

श्रवण बाधित बच्चे के सुनने के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि वह उपयुक्त श्रवण यंत्र लगाता है या नहीं। साथ ही उसे घर की हर गतिविधि के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है या नहीं।

बच्चे को यह समझाया जाना चाहिए कि वह बोलने वाले के चेहरे की ओर देखे। माता–पिता को हर गतिविधि करते समय ही बच्चे को अवगत कराना चाहिए, गतिविधि होने के बाद नहीं। उन्हें बच्चे की आँखों में आँखें डालकर बात करनी चाहिए।

बच्चे से उस भाषा में बात की जानी चाहिए जो माता–पिता के अनुसार बच्चे के लिए भविष्य की भाषा होगी। माता–पिता को घर में रोजाना होने वाली गतिविधि के बारे में उसे विस्तार से बतलाना चाहिए।

सामान्य बच्चे से माता–पिता हर समय बात करते रहते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक। वे बच्चे को खाना देते समय, नहाते समय, खाना पकाते समय, घर सफाई करते समय, कपड़े धोते समय, बाहर जाते समय, खरीदारी करते समय, मेहमान आने पर, खेलने कूदने के समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ज्यों–ज्यों ऐसा होता रहता है त्यों–त्यों बच्चे की समझ बढ़ती रहती है और उसकी भाषा ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है।

पर दुर्भाग्यवश जब माता–पिता को लगता है कि उनका बच्चा श्रवण बाधित है तो वे बच्चे से बात करना बंद कर देते हैं। जबकि उन्हें उस बात के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है कि वे बच्चे को बोलने के लिए तैयार करें। उन्हें अपने बच्चे से उतनी ही ज्यादा बात करनी चाहिए मानो वह सामान्य बालक हो।

गृह प्रशिक्षण

जब बच्चा बहुत छोटा होता है या बच्चे का परिवार बहुत दूर रहता है तो घर में प्रशिक्षण बच्चे को सिखाने में सहायक होता है। घर में प्रशिक्षण बच्चे के परिवार के सभी सदस्यों को दिया जा सकता है। इस प्रशिक्षण में परिवारजनों को बच्चे की श्रवण बाधिता के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में बतलाया जा सकता है। साथ ही यह भी बतलाया जा सकता है कि वह बच्चे को आगे बढ़ने व सीखने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं।

हमारे देश में गृह प्रशिक्षण एक दो केन्द्रों को छोड़कर बड़े पैमाने पर प्रारंभ नहीं हो पाया है।

माता–पिता व्यवसायिक सलाहकारों की भागीदारी

श्रवण बाधित बच्चे की उपलब्धि का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक व माता–पिता मिलकर एक टोली के रूप में कितना बेहतर कार्य कर पाते हैं। अच्छे मार्गदर्शन तथा परामर्श के द्वारा शिक्षक बच्चे के लिए प्रयासों के लिए कार्यक्रम तैयार कर सकता है।

शब्द परिवार का अर्थ मात्र माता और पिता ही नहीं है। इसमें श्रवण बाधित बच्चे के अन्य रिश्तेदार जैसे दादा–दादी, नाना–नानी, चाचा–चाची, कुल जन, अन्य रिश्तेदार व मित्र भी शामिल होते हैं।

सौभाग्यवश संयुक्त परिवार प्रणाली अभी भी भारत में अनेक स्थानों पर उपलब्ध है। श्रवण बाधित बच्चे के लिए संयुक्त परिवार में अनेक लाभ होते हैं। उसे प्यार करने वाले तथा देखभाल करने वालों की संख्या अधिक होती है।

पर माता–पिता दूसरों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें इस प्रक्रिया में भागीदार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि माता–पिता स्वयं बच्चे की श्रवण बाधिता के बारे में शर्मिंदा होंगे तो वे बच्चे

को बिना श्रवण यंत्र के बाहर निकालेंगे। उनकी यह भावना उनके रिश्तेदारों व मित्रों तक पहुँचेंगी। ऐसे में उनके मित्र व रिश्तेदार भी बच्चे से बातचीत करने में हिचकेंगे।

ऐसे भी अनेक मामले होते हैं जब रिश्तेदार यह सोचते हैं कि बच्चे की माता अनावश्यक रूप से बहुत सारा समय बच्चे को दे रही है। उन्हें यह भी लगता है कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह घरेलू कार्यों से बचना चाहती है। कई बार वह अपने बच्चे के कारण घरेलू समारोहों में भी भाग नहीं ले पाती है। इन कारणों से माता की स्थिति खराब हो जाती है। इस स्थिति में माता को औरों को समझाना पड़ता है कि वह यह सब बच्चे के भविष्य के लिए कर रही है। अन्य कोई कारण नहीं है। दूसरी ओर यदि मित्र व रिश्तेदार यह समझ जाते हैं तो इससे अंततः बच्चे को बहुत मदद मिलती है।

अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्रवण बाधित बच्चे के माता–पिता को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे बच्चे की उचित सहायता कर सकें। आम तौर पर बच्चे के माता–पिता बहुत दुखी व अवसादग्रस्त अवस्था में होते हैं और व्यवसायिक सलाहकारों की बात सुनने या समझने की स्थिति में नहीं होते हैं।

व्यवसायिकों का कार्य बहुआयामी होता है। उन्हें माता–पिता को सलाह भी देनी होती है, प्रेरित भी करना होता है, मदद भी करनी होती है ताकि वे बच्चे की श्रवण बाधिता से उत्पन्न समस्याओं से निबट सकें। एक बार जब माता–पिता स्वीकृति की स्थिति में आ जाते हैं तो व्यवसायिक सलाहकार उन्हें बच्चे की सहायता हेतु मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करने लगते हैं। यह कार्य देखने में सरल लगता है पर होता कठिन है।

श्रवण बाधित बच्चे के प्रति माता–पिता की अभिवृत्ति अनेक प्रकार

की होती है। कुछ तो जरूरत से अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, वे किसी भी प्रकार की टिप्पणी या सुझाव स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा का पूरा कार्य व्यवसायिकों पर छोड़ देते हैं और बच्चे के बारे में भूल ही जाते हैं।

सबसे अच्छा परिणाम तब हासिल होता है जब व्यवसायिक, माता–पिता को इतना प्रशिक्षण देने में सपफल हो जाते हैं कि वे अपने बच्चे की देखभाल अच्छी तरह कर सकें और स्कूल में जो प्रयास चल रहे हैं उनमें पूरी सहायता दें। माता–पिता का प्रशिक्षण तब सपफल हो पाएगा जब व्यवसायिक माता व पिता के अलग–अलग गुणों व दोषों का मूल्यांकन कर लेंगे तथा उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दे देंगे। यह व्यक्तिगत और समूह सत्र के द्वारा भी किया जा सकता है। माता–पिता को यह समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि स्कूल का दर्शन क्या है और किस प्रकार की मदद अभिभावकों तक पहुंचायी जा सकती है।

पत्राचार पाठ्यक्रम

कैलीफोर्निया (अमरीका) में जॉन ट्रेसी क्लीनिक है जो छोटे श्रवण बाधित बच्चों के अभिभावकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। जॉन ट्रेसी के पाठों का देश के अनेक संस्थानों ने भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी कराया है।

इसके अलावा भारत में किसी अन्य संस्था द्वारा इस प्रकार का पत्राचार पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

देश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा अभिभावकों के सम्मुख आने वाली विविध समस्याओं को देखते हुए अनेक प्रकार के पत्राचार पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

भागीदारी में आने वाली समस्याएँ

कार्यक्रम में माता–पिता की भागीदारी के बारे में कहना आसान है

करना कठिन है। इस संबंध में व्यवसायिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकतर विद्यालय आवासीय विद्यालय है, जिसमें अध्किांशतः बच्चे होस्टल में रहते हैं।

- बच्चे के माता–पिता सिर्फ बच्चे को छुट्टियों के बाद स्कूल छोड़ने आना तथा छुट्टियाँ होने पर लेने आना चाहते हैं। ज्यादातर मामलों में वे चंद दिनों की छुट्टियों में लेने–छोड़ने का दायित्व भी नहीं निभाते और बच्चे सिर्फ गर्मियों की लंबी छुट्टियों में ही घर जाते हैं।
- आम तौर पर ऐसे बच्चों के घर स्कूलों से दूर होते हैं।
- ज्यादातर माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होते हैं और वे स्कूल आने जाने के खर्च का वहन नहीं कर पाते हैं तथा स्कूल आते ही नहीं है।
- कुछ मामलों में माता–पिता दोनों बाहर काम करते हैं। उन्हें स्कूल आने का समय ही नहीं मिल पाता है।
- अनेक मामलों में माता–पिता को यह पता नहीं होता है कि वे बच्चे के कल्याण व प्रगति में योगदान कर सकते हैं और इसलिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित नहीं होते हैं।

यह ज्ञात हुआ है कि श्रवण बाधित बच्चों की उपलब्धि का स्तर अत्यंत निम्न होता है। मात्र 45 प्रतिशत ही स्कूल जा पाते हैं। सिर्फ 9 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक पहुँच पाते हैं। यदि माता–पिता की भागीदारी बेहतर हो तथा उनके सशक्तिकरण का कार्य स्कूलों द्वारा गंभीरता से किया जाय तो स्कूल छोड़ने की दर बहुत कम हो जाएगी तथा बच्चे शिक्षा में उच्च स्तर हासिल करेंगे।

बताएँ सत्य या असत्य

1. माता व बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध बच्चे के पूरे जीवनकाल तक उपलब्ध होता है।

2. जब माता–पिता को पता चलता है कि उनके बच्चे में श्रवण बाधिता है तो वे बच्चे से स्वतः ही ज्यादा बातचीत करने लगते हैं।

3. गृह प्रशिक्षण बच्चे के परिवार के सभी सदस्यों को दिया जा सकता है।

4. अभिभावक का प्रशिक्षण तब सफल हो सकता है जब व्यवसायिक सलाहकार अभिभावकों के व्यक्तिगत गुणों व अवगुणों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित करेंगे।

5. व्यवसायिक कार्यक्रम में अभिभावक को शामिल करने में अनेक समस्याओं का सामना करते हैं।

6. श्रवण बाधित बच्चों के लिए श्रवण सहायक यंत्र अनिवार्य है।

7. हमारे देश में गृह प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो चुका है।

8. संयुक्त परिवार श्रवण बाधित बच्चों के लिए ज्यादा लाभदायक है।

9. अमेरिका में जॉन ट्रेसी क्लीनिक छोटे श्रवण बाधित बच्चों के माता–पिता के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है।

संक्षिप्त उत्तर दें

1. कार्यक्रम में माता–पिता को शामिल करने की क्या आवश्यकता है?
2. गृह प्रशिक्षण क्या है?
3. अभिभावकों व व्यवसायिकों के बीच साझेदारी के बारे में लिखें।
4. अभिभावक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्णन करें।
5. माता–पिता को प्रशिक्षण में शामिल करने में क्या कठिनाइयाँ आती है?
6. श्रवण बाधित बच्चों के कार्यक्रम में अभिभावकों को सम्मिलित कराने में व्यवसायिक को क्या समस्याएँ आती हैं?
7. श्रवण बाधित बच्चे की उपलब्धि स्तर को सुधरने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

इकाई—4

पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय

संरचना

- परिचय
- लक्ष्य
- समुदाय : परिभाषा, स्वभाव व प्रकार
- विकलांगता के बारे में समुदाय की आम कुधारणाएँ
- विकलांगता की रोकथाम, पहचान व हस्तक्षेप में भूमिका
- इकाई का सारांश
- प्रश्न

4
पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय

परिचय

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर व्यक्ति पहले परिवार के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद समुदाय के अन्य सदस्यों से। एक सभ्य विश्व समाज में जिसमें कि हम रहते हैं ने अनेक मामलों में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, काम करने, खेलने, मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्ति आसपास के लोगों से घुलता मिलता है। भारत में 6 लाख गाँव हैं तथा लगभग उतने ही समुदाय हैं जो लोगों को न सिर्फ रहने वरन स्वास्थ्य की देखरेख करने, साथ ही विकास व मनोरंजक गतिविधियों के लिए तमाम अवसर देते हैं। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति एक समुदाय जितना ही सशक्त है जिसमें वह रहता है। इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय को किस प्रकार शामिल किया जाए।

लक्ष्य

ज्ञान संबंधी लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- पाठक को समुदाय के महत्व से अवगत कराना
- शहरी व ग्रामीण समुदायों की परिभाषा और लक्षणों से अवगत होना,

- सामुदायिक गतिविधियों की प्रकृति व गतिमानता की सराहना करना,
- विकलांगता के बारे में समुदाय की आम कुधारणाओं के बारे में अवगत होना,
- यह जानने में कि किस प्रकार सामुदायिक संसाधनों का उपयोग विकलांगों की शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप में हो सकता है,
- समुदाय में विकलांगता की रोकथाम के बारे में किये जाने वाले उपायों से अवगत होना,
- पुनर्वास की प्रक्रिया तथा समुदाय की भूमिका से अवगत होना,

समुदाय : परिभाषा, स्वभाव व प्रकार

समुदाय का महत्व

समुदाय अपने सदस्यों तथा उन परिवारों से जिसका वह सदस्य है, उनकी समस्याओं को संबोधित करता है। हममें से हरेक की प्रगति व विकास का सीधा संबंध हमारे आस पास स्थित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने आसपास पेड़ उगाते हैं तो हमें अच्छी वायु मिलती है। यदि आपके आसपास अच्छा अस्पताल होता है तो आपको तुरंत अच्छी चिकित्सा मिल जाती है। यदि आपके गांव या समुदाय में अच्छी प्राथमिक पाठशाला या हाईस्कूल है तो आपको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। इसी तरह यदि आप औद्योगिक इलाके में रहते हैं तो आपके पास नौकरी के अच्छे प्रस्ताव आ जाएंगे। अनेक लोग सिर्फ बाजार वरन पूजा स्थल के निकट या मनोरंजन स्थल के निकट रहना चाहते हैं। आसपास रहने वालों की आवश्यकता पूरी करने के लिए समुदाय अधिकांशतः सुनियोजित रहता है। हममें से हरेक का जीवन समुदाय में उपलब्ध

सुविधाओं व संसाधनों पर निर्भर करने लगता है।

शहरी व ग्रामीण समुदायों की परिभाषा व विशेषताएँ

आज के संदर्भ में समुदाय शब्द जल्दी ही हमारे दिमाग की घंटी बजाने लगता है। क्योंकि हम यह सोचते हैं कि समुदाय का अर्थ जाति तो नहीं, जो हमारी प्रणाली में मौजूद है पर यहाँ समुदाय का अर्थ जाति नहीं है। यहाँ पर समुदाय की परिभाषा है लोगों का समूह जो एक क्षेत्र में रहता है। पंचायती राज तंत्र के कारण भारत में बड़ी संख्या में सुनियोजित समुदाय हैं।

समुदाय शहरी, अर्धशहरी (कस्बाई) या ग्रामीण हो सकता है। समुदाय में साक्षरता का स्तर, समुदाय आयोजन का स्तर बन जाता है तथा इससे यह ज्ञात होने लगता है कि समुदाय किस स्तर की गतिविधियाँ विकसित कर सकता है या चला सकता है। समुदाय में विकास गतिविधियों के नजरिये से यदि देखा जाय तो ये महत्वपूर्ण है कि समुदाय नियोजित है या नहीं, संगठित है या नहीं, सूचित है या नहीं। यदि इन तीनों के उत्तर सकारात्मक हैं तो यह निश्चित है कि समुदाय प्रगति करेगा।

समुदाय के स्वभाव व गतिमानता को सराहने हेतु गतिविधियाँ

किसी भी समुदाय की गतिविधियों का निर्धारण इस प्राथमिकता पर होता है कि वह विभिन्न विषयों के प्रति कितना संवेदनशील है। उदाहरण के तौर पर गाँव में यदि मंदिर का निर्माण करना हो तो स्थानीय समुदाय का व्यापक समर्थन मिल जाता है। पर यदि एक पार्क बनाना हो व उसका रखरखाव करना हो तो अनेक कारणों से यह उतनी प्राथमिकता का कार्य नहीं बन पाता है। पर शहरी समुदाय में पार्क का निर्माण उच्च प्राथमिकता का कार्य होता है। जो समुदाय जाति वर्ग आदि पर बंटा होता है तो वह अंत में निम्न रेखाचित्र या पार्श्व चित्र का रह जाता है। अल्प नियोजित विभाजित समुदाय विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के लिए भी कम संसाधन

ही जुटा पाता है।

विकलांगता के बारे में समुदाय की आम कुधारणाएँ

- आम तौर पर लोग परिवार में विकलांगता को एक अभिशाप के रूप में देखते हैं। यह इस जन्म में या पूर्व जन्म में किये गए पापों का परिणाम माना जाता है। यदि परिवार में विकलांग बच्चा है तो यह अभिभावकों के पापों का परिणाम माना जाता है।

- निश्चित रूप से यदि अभिभावक पापी माने जाएंगे तो कोई भी इस बारे में क्यों सोचेगा कि बच्चा क्यों तकलीफ पा रहा है। माता–पिता व समुदाय की इस सशक्त मान्यता को दुरुस्त करने में काफी समय लगेगा कि विकलांगता का पूर्व पापों या कर्मों से संबंध नहीं है। अभी भी यह कुधारणा व्यापक रूप से लोगों में फैली है।

- समुदायों में यह सशक्त मान्यता है कि विकलांग व्यक्ति जीवन का कोई भी पहलू सामान्य रूप से नहीं बिता पाते हैं। उन्हें हमेशा ही दया या सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाता है, बराबरी की दृष्टि से नहीं।

- अनेक लोग यह भी मानते हैं कि विकलांग बच्चे अन्य बच्चों की तरह लिख पढ़ नहीं सकते हैं।

- अनेक अभिभावक व नौकरी देने वाले यह मानते हैं कि विकलांग व्यक्ति किसी काम को लेने व पूरा करने में कमजोर होते हैं।

- ज्यादातर परिवार यह मानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों का बचपन, युवावस्था, वयस्कावस्था आदि सामान्य नहीं होती तथा उनकी आकांक्षाएँ भी गैर–विकलांगों जैसी नहीं होती हैं।

विकलांगता की रोकथाम, पहचान व हस्तक्षेप में भूमिका

विकलांगों की शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप के लिए सामुदायिक संसाधन

हर समुदाय में गर्भवती महिला की देखरेख की अलग व्यवस्था होती है। भारत में 40 प्रतिशत बच्चों का जन्म घरेलू प्रसव द्वारा होता है। इसलिए जन्म के समय की जटिलताएँ या तो नजर में नहीं आती हैं या उनके पास आपात स्थिति के लिए चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होती है। आमतौर पर दाइयाँ, मिड वाइफें, आंगनवाड़ी कर्मी जन्म के समय बच्चे की विकलांगता के जोखिम को पहचांनने में सक्षम नहीं होती हैं। ये तीनों, समुदाय की आबादी से सीधे संपर्क में रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन्हें विकलांगता पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाय जिससे बाद में पूरे समुदाय में जागरूकता का स्तर बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

चूँकि विकलांगता का प्रकार व परिमाण अलग–अलग होता है अतः एक स्थिति का हस्तक्षेप दूसरी स्थिति से भिन्न होता है। विकलांगता की कुछ स्थितियाँ समुदाय के अन्दर ही निबटा ली जाती है और इसके कारण अधिक आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा कई अन्य स्थितियाँ हैं जिनमें उच्च चिकित्सकीय व शल्य चिकित्सकीय उपचारों तथा साथ में सहायक उपकरणों व अनेक प्रकार चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है। अक्सर ये कौशल व सुविधाएँ किसी समाज में उपलब्ध नहीं होती है विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल नहीं होती है। हर समुदाय अपने किसी व्यक्ति को विकलांगों के पुनर्वास व प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षित कर सकता है। प्रति एक हजार व्यक्तियों में से लगभग 20 व्यक्ति ऐसे होंगे जो सामान्य या गंभीर विकलांगता के शिकार होंगे। इतने ही लोग ऐसे होंगे जो अल्प विकलांगता के शिकार होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हर समुदाय इस बात का प्रयास

करें ताकि उस समुदाय में विकलांगों को कम से कम रोजमर्रा की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

समुदाय में विकलांगता की रोकथाम

मोटे तौर पर, किसी भी इलाके के लोगों की जैविक आधारशिला और पर्यावरण या रिहायश संबंधी कारणों से इलाकों में जन्म लेने वाले बच्चों में विकलांगता उत्पन्न होती है। जन्मजात विकलांगता के कारणों व बाद में हुई विकलांगता के कारणों में बहुत ज्यादा अंतर होता है सभी लोग एक जैसे संक्रमण या बीमारी से प्रभावित होकर विकलांग नहीं हो जाते हैं। संभावना में भारी विविधता देखी जाती है। चंद उपाय जैसे साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना, ठहरा हुआ पानी जिसमें मच्छर पनपते हों, हटा देना, घर–मुहल्ले आसपास की सफाई, गर्भावस्था के दौरान तत्काल देखभाल, अपने आप अपना इलाज बिना जानकारी के करने पर रोक आदि समुदाय प्रारंभ कर सकता है।

पुनर्वास की प्रक्रिया तथा समुदाय की भूमिका से परिचित होने के लिए

पुनर्वास में निम्न चरण अपनाए जाने चाहिए :

1. विकलांगता के बारे में चिंतन के स्तर उठाने के लिए जागृति लाना,
2. विकलांगता उत्पन्न करने वाले रोगों से बचाव,
3. शीघ्र पहचान व रोग का निदान,
4. चिकित्सा व शल्य चिकित्सा उपचार,
5. कृत्रिम अंग आदि फिट करना,
6. चिकित्सीय उपाय,
7. प्रारंभिक, शीघ्र, हस्तक्षेप,

8. अभिभावक व शिशु के कार्यक्रम,
9. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा,
10. पूर्व विद्यालयीन शिक्षा,
11. शिक्षा
    (क) प्राथमिक
    (ख) माध्यमिक
    (ग) उच्च शिक्षा
12. सामाजिक एकीकरण
    (क) विवाह संबंधी परामर्श व विवाह,
    (ख) मनोरंजक गतिविधियों में सहभागिता,
    (ग) सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता,

उपरोक्त गतिविधियाँ इसलिए सुझाई गई है जिससे किसी प्रकार की बाधिता को विकलांगता बनने से रोका जाए और विकलांगता को अक्षमता बनने से रोका जा सके।

उपरोक्त पुनर्वास प्रक्रिया की विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होकर समुदाय अहम भूमिका निभा सकता है। किसी भी समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की विविधता इस प्रकार होती है :

1. आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना,
2. सामग्री तंत्र उपलब्ध कराना,
3. स्वयंसेवक; मानव संसाधन उपलब्ध कराना,

संक्षेप में कहें तो समुदाय को विकलांग व्यक्ति के प्रति दया या सहानुभूति नहीं दिखलानी चाहिए वरन बराबरी का दर्जा देते हुए सुविधएँ विकसित करनी चाहिए।

इकाई का सारांश

इस अध्याय में किसी भी समुदाय में रहने वाले लोगों के प्रकार, प्रकृति तथा गतिमानता का वर्णन है। एक सुनियोजित समुदाय का महत्व व आवश्यकता तथा वह कैसे अपनी देखभाल कर सकता है यह भी विस्तार से दर्शाया गया है। इसमें उन गतिविध्यिों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है जिनसे क्षतिग्रस्तता की रोकथाम कर उसे विकलांगता या अक्षमता नहीं बनाने पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

प्रश्न

1. 'समुदाय' की परिभाषा बताएँ।
2. समुदाय का महत्व क्या है?
3. विकलांगता के बारे में प्रचलित धारणाएँ क्या हैं?
4. वह कौन से संसाधन हैं, जिन्हें आप समुदाय के लिए एकत्र कर सकते हैं?
5. एक नियोजित समुदाय किस प्रकार विकलांगों की सहायता कर सकता है।

प्रश्नों के नमूने

1. मनुष्य एक .... प्राणी है।
2. भारत में .... गांव है।
3. भारत में बड़ी संख्या में सुनियोजित समुदाय हैं। .... प्रणाली को धन्यवाद।
4. प्रति 1000 आबादी में विकलांगता सहित व्यक्ति की .... संख्या है।
5. सी. बी. आर. कार्यक्रम का आधार .... है।

6. सी. बी. आर. कार्यक्रम का आधार स्तंभ .... है।

7. सी. बी. आर. का अर्थ यह .... है कि ये सेवाएँ सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए हैं।

8. .... प्रतिशत बच्चों का जन्म घरेलू प्रसव के द्वारा होता है।

इकाई–5

समुदाय आधारित पुनर्वास

संरचना

- परिचय
- लक्ष्य
- व्याप्ती, आवश्यकता तथा महत्व
- सी.बी.आर. का आयोजन
- सामुदायिक जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का प्रकार
- सामुदायिक जागरूकता के लिए सामग्री
- इकाई सारांश
- प्रश्नों के नमूने

5

समुदाय आधारित पुनर्वास

परिचय

विकलांग व्यक्तियों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के तीन मार्गों में से एक है समुदाय आधारित पुनर्वास। दो अन्य रास्ते हैं संस्थान आधारित पुनर्वास व कैंपों के माध्यम से। संस्थान आधारित पुनर्वास में मुख्य नीति है कि "यदि आप हमारे पास आएँगे तो हम आपको सेवा प्रदान करेंगे।" जबकि कैंप आधारित नीति में "विशेषज्ञ जरूरतमंद के पास संक्षिप्त अवधि के लिए सेवा उपलब्ध करायेगा" तथा शेष अवधि में जरूरतमंद को ही संस्थान तक जाना होगा। समुदाय आधारित पुनर्वास में समुदाय को इस प्रकार सशक्त किया जाता है कि वह विकलांगता पुनर्वास सेवाओं का आधार बने, समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके। इस अध्याय में हम सी.बी.आर. (समुदाय आधारित पुनर्वास) की तकनीक व कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे।

लक्ष्य

- समुदाय आधारित पुनर्वास की व्याप्ती, आवश्यकताओं व महत्व से अवगत होना,
- यह जानना कि किस प्रकार सी.बी.आर. कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- यह जानना कि किस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम

से समुदाय में जागृति लाई जा सकती है।

- सामुदायिक जागृति के लिए विभिन्न सामग्रियों से अवगत होना।
- सार्वजनिक स्थलों पर अवरोध मुक्त वातावरण उत्पन्न करना।
- यह जानना कि किस प्रकार श्रवण बाधित बच्चों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है।

व्याप्ती, आवश्यकता तथा महत्व

भारत जैसे विकासशील देशों में सी.बी.आर. की व्याप्ती उन विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है। विकलांग व्यक्तियों के लिए सामुदायिक संसाधनों को लगाने की धारणा का प्रचलन भारत में अनेक सदियों से और शायद सम्राट अशोक के जमाने से है। सी.बी.आर. के माध्यम से हम किसी भी विकलांग व्यक्ति को आजीवन सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही वृद्धि विकास की विभिन्न अवधियों में सेवाओं का स्वरूप आवश्यकतानुसार दिया जाएगा। इन गतिविधियों में रोग की जाँच, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक एकीकरण जैसी गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं। सी.बी.आर. का संबंध सिर्फ समुदाय आधारित पुनर्वास से ही नहीं है वरन समुदाय आधारित प्रशिक्षण तथा रोकथाम से भी है।

समुदाय आधारित पुनर्वास की आवश्यकता व महत्व न सिर्फ अर्थव्यवस्था से जुड़ा है वरन समुदाय की विकलांगों के प्रति निम्नस्तर की संवेदनशीलता से, निम्न स्तर की जागरूकता, प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में कमी, समाज में फैली अज्ञानता व अंधविश्वास आदि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। सी.बी.आर. विकलांगता सहित व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

सी.बी.आर. का आयोजन

अक्सर समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को बाहर से एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है ताकि समुदाय को विकलांगों के पक्ष में, गठित किया जा सके। एक बार जब समुदाय आयोजित हो जाता है या अपना मन बना लेता है कि विकलांगों के पक्ष में काम करना है तो आयोजित समुदाय यह जान जाता है कि अपने विकलांग सदस्यों की देखभाल किस प्रकार करनी है। इस प्रकार वह सी.बी.आर. का आधार बन जाता है। समुदाय आधारित पुनर्वास का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है समुदाय में लोगों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विकलांगों के पुनर्वास संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकें। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाय तो स्थानीय समुदाय को उचित मनोवृत्ति, ज्ञान तथा कौशलों के आदान–प्रदान द्वारा सशक्त किया जाता है तथा साथ में विकलांगों की सहायता हेतु उचित वातावरण बनाया जाता है। ये प्रशिक्षित लोग एक सशक्त आधार स्तंभ का कार्य करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है परिणाम अर्थात विकलांगों को अभी तक हुआ कुल लाभ। ये लाभ इन आधार स्तंभों के ऊपर एक छत की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार समुदाय आधारित पुनर्वास प्रक्रिया समुदाय में विकलांगों के लिए सुविधाएँ उत्पन्न करने से एक नींव का काम कर जाती है। अतः समुदाय आधारित पुनर्वास विकलांग व्यक्तियों की सुविधाओं के आधार स्तम्भ को निर्मित करता है। उचित नियोजन किया जाय तो संधारणीय सेवाएँ जारी रहती हैं। बाहर से प्राप्त संसाधनों जैसे समुदाय कर्मियों को प्रशिक्षित करने आदि के लिए पड़ती रहती हैं। इसके अलावा समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम कैसे चलाया जाय इसके लिए भी निर्देश आवश्यक होते हैं जो बाहर से प्राप्त किया जाता है। अतः एक उत्प्रेरक की आवश्यकता भी होती है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। पर ज्योंही समुदाय योजना पूरी तरह गठित हो जाय इस उत्प्रेरक को हटा लेना चाहिए।

यहाँ पर एक सी.बी.आर. का एक उदाहरण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के

थाणे जिले में बदलापुर में एक शहर पंचायत के जरिये उपरोक्त परियोजना चलाई गई थी। इसमें अलीयावर जंग नेशनल इंस्ट्टीट्यूट ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। शहर पंचायत अध्यक्ष को उत्प्रेरक द्वारा सहयोग दिया गया इस शर्त पर कि पंचायत प्रतिवर्ष प्रति घर से 10 रुपये वसूलेगी। यदि ऐसा होता है तो उत्प्रेरक संगठन को प्रशिक्षण व निर्देश देगा। ऐसा ही हुआ और शहर पंचायत द्वारा 22,500 संपत्तियों से प्रति संपत्ति प्रति वर्ष दस रुपये वसूले गए और इस राशि को विकलांगों के लिए सुविधाएँ उत्पन्न करने हेतु निर्धारित किया गया। इस संगठन ने कई विकलांगता सहयोगपूर्ण गतिविधियों का आरंभ किया है। आज यह शहर पंचायत, देश में पहली अवरोध मुक्त शहर पंचायत घोषित की गई। इसने न सिर्फ रैंप तैयार किये वरन अस्थि विकलांगों के लिए अन्य अवरोध मुक्त सुविधाओं का भी निर्माण किया, नेत्रहीनों के स्कूल के सामने चौराहे पर श्रव्य संकेत लगवाए और अस्पताल में पूछताछ केन्द्र पर इंडक्शन लूप तंत्र लगवाए। इसके अलावा इलाके में बड़े बोर्ड भी लगवाए ताकि लोगों को यह पता लग सके कि कौन सी सुविधा कहाँ–कहाँ पर उपलब्ध है। उन्होंने विकलांगों के रोजगार के लिए बड़े–बड़े कैंप लगाये, मंदबुद्धि बच्चों के लिए एक स्कूल भी प्रारंभ किया। यहाँ के सभी प्राथमिक शिक्षकों व आंगनवाड़ी कर्मियों को विकलांगता से रोकथाम व इसके प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कराया गया। ये सभी विकलांगों को सहायता देने के लिए हमेशा–हमेशा के लिए सक्षम हो गए। यह नगर पंचायत अब सुविधाओं के सृजन के लिए बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं करती है। नगर पंचायत द्वारा आवंटित राशि की देखरेख एक सोसाइटी द्वारा की जाती है। इसमें पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, स्कूल प्रशासन, बैंक के लोग आदि होते हैं। इसके अलावा पोस्टमास्टर, स्टेशन मास्टर तथा विकलांग जन भी बड़ी संख्या में होते हैं। यह समिति इस क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है। इस शहर पंचायत

में 1.25 लाख की आबादी है। भारत के राष्ट्रपति ने इस पंचायत के अध्यक्ष को दिसम्बर 2002 में अवरोध मुक्त शहर पंचायत के लिए सम्मानित किया तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में बदलापुर को सी.बी.आर. लागू करने वाली पहली पंचायत घोषित किया।

सामुदायिक जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का प्रकार

किसी भी स्थान पर सामुदायिक जागरूकता का कार्यक्रम समुदाय में उपलब्ध माध्यमों/स्रोतों पर निर्भर करता है। ये टी.वी./रेडियो या वी.सी.आर./वी.सी.डी./सी.डी. या पी.सी. पर निर्भर करते हैं। मुद्रित माध्यम या कला माध्यम जैसे नृत्य, नाटक व लोकगीत, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित करना भी उपयोगी तरीके सिद्ध हो चुके हैं। अक्सर टम–टम या मौखिक प्रचार सबसे अच्छी जागरूकता उत्पन्न करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि सी.बी.आर. शहरी इलाकों में भी हो सकता है और वह भी विकसित देशों में भी। सी.बी.आर. का अर्थ सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं है सिर्फ गरीब देशों में ही इसका क्रियान्वन करे। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसमें सिर्फ कम कीमत वाली प्रौद्योगिकी का ही इस्तेमाल होगा। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि इसमें सिर्फ सस्ती सेवाएँ ही उपलब्ध होंगी। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परिणाम आई.बी.आर. से भी कमजोर ही होगा। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक जागरूकता हेतु कार्यक्रमों के प्रकार तय किये जाने चाहिए।

सामुदायिक जागरूकता के लिए सामग्री

सार्वजनिक स्थलों पर अवरोध मुक्त वातावरण उत्पन्न करना

यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक छोटी सी शहर पंचायत जिसकी आबादी सवा लाख है में किस प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर अवरोधमुक्त वातावरण उत्पन्न किया जा

सकता है।

कुलगांव : बदलापुर एक छोटा शहर है जिसकी आबादी सवा लाख है। यह मुंबई सेल द्वारा दो घंटे की दूरी पर है। ए.वाई.जे. एन.आई.एच.एच. ने कुलगांव बदलापुर नगर परिषद के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक सेवाएं देना प्रारंभ किया है।

अवरोध मुक्त वातावरण उत्पन्न करने के लिए के.बी.एम.सी. ने निम्न सुविधाएँ विकसित की हैं :

अस्थि कारक विकलांगता : स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों पर रैंप व रेलिंग की स्थापना, ये सुविधाएँ आदर्श विद्यालय, नायक हाई स्कूल, जे.पी. स्कूल, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस नगर परिषद अस्पताल में उपलब्ध हैं ये सभी कुलगांव बदलापुर में हैं।

साइन बोर्ड की स्थापना, होर्डिंग व सूचनाबोर्ड जो के.बी.एम. सी. के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विकलांगों के लिए सुविधाओं की स्थिति दर्शाते हैं।

- हैंड रेल तथा सार्वजनिक शौचालयों में सुधार,
- कार्यालयों में रास्तों/गलियारों को चौड़ा करना,
- दृष्टिबाधितों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सतह पर एन्ग्रेविंग करना,
- दृष्टि बाधितों के लिए श्रव्य संकेत,
- श्रवण बाधिता के लिए डिजिटल डिस्प्ले सूचकों की स्थापना,
- सिनेमा थियेटरों की कुर्सियों तथा रेस्तरां की टेबलों पर विकलांगों के लिए आरक्षण,
- के.बी.एम.सी. अस्पताल में लूप इंडक्शन प्रणाली,
- श्रवण यंत्र मरम्मत सुविधाओं की सूचना के लिए बोर्ड
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्टिकर

राष्ट्रीय पुरस्कार : कुलगांव बदलापुर नगर परिषद ने 2002 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। यह पुरस्कार शहर में अवरोध मुक्त वातावरण उत्पन्न करने के लिए था। के.बी.एम.सी. के अध्यक्ष श्रीराम पाटकर ने यह सम्मान राष्ट्रपति से 3 दिसम्बर 2002 को प्राप्त किया था।

इकाई सारांश

इस अध्याय में अनेक विषयों पर सूचनाएँ दी गई हैं। ये हैं–सी.बी. आर. क्यों? यह कैसे काम करता है?, क्या काम करता है? साथ में उदाहरण भी दिये गये हैं। यह उतना ही स्पष्ट है जैसे कि आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा था कि नियोजित समुदाय जानता है कि अपने लोगों की देखभाल कैसे की जाय। जन जागृति के लिए सामग्री काफी है और प्रमुख एन.जी.ओ. या राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्नों के नमूने

खाली स्थान भरें।

1. सेवा प्रदान के .... रास्ते हैं।
2. सी.बी.आर. विकसित करने के लिए .... किसी की आवश्यकता होती है।
3. पहली सी.बी.आर. एक शहर पंचायत के जरिये .... पंचायत में .... जिले में की जा रही है
4. .... बदलापुर कुलगांव शहर पंचायत के लिए उत्प्रेरक था।

संक्षिप्त प्रश्न

1. सी.बी.आर. भारत के लिए क्यों प्रासंगिक है?
2. सी.बी.आर. की परिभाषा बताएँ।
3. सी.बी.आर. में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है?
4. समुदाय में जागरूकता लाने के आम तरीके क्या हैं? उदाहरण दीजिए।
5. कुलगांव–बादलपुर शहर पंचायत द्वारा सी.बी.आर. लागू करने में की गई पहल के बारे में लिखिए।

Notes